

मानव विकास, समानता और पर्यावरण

12 अध्याय

विकास योजना का मूल उद्देश्य मानव-विकास अथवा समाज और लोगों का अधिकाधिक कल्याण करना है। लोगों के सामाजिक-कल्याण में वृद्धि पर्यावरण के अनुकूल रहकर बेहतर जीवन-यापन के साथ विकास रूपी फल के समान वितरण से ही संभव है। अतः विकास संबंधी रणनीति, आय एवं गैर-आय दोनों प्रकार के आयामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विस्तृत विकास नीति द्वारा लोगों के जीवन-स्तर और जीवन-उत्कर्ष में व्यापक सुधार हेतु सतत् प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रकार, सरकार के सामने क्षेत्रीय, सामाजिक, लिंग और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करने की चुनौती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई शक्ति का उपयोग करते हुए समग्र विकास के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई है।

12.2 इस अध्याय में भारत में “समावेशी विकास” से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय के साथ-साथ अन्तर-राज्यीय तुलनाओं का उपयोग किया गया है। इसमें अन्य उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा समान स्थिति वाले देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) की दृष्टि से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को विशिष्ट रूप से उजागर करने के अलावा, मानव विकास सूचकांक के विभिन्न पैरामीटरों के बीच परस्पर संबंधों की जांच करने का प्रयास किया गया है। घरेलू दृष्टिकोण से, इस अध्याय में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सामाजिक क्षेत्र पर खर्च करने की प्रवृत्ति पर फोकस डाला गया है। इसमें सरकार द्वारा कार्यान्वित सामाजिक क्षेत्र की नीतियों, विशेषकर गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, समाज के कमजोर वर्गों का विकास, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा का अवलोकन किया गया है। इसमें इंटरजनरेशनल इक्विटी के संदर्भ में जलवायु-परिवर्तन और इससे विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

मानव विकास एवं लिंग

12.3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित मानव-विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर.) में दिए गए मानव विकास सूचकांक विकास का मात्र एक मापक है जो सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का उपयोग करते हुए विकास को मापने की एक

और अधिक मानक पद्धति का विकल्प माना जाता है। यह तीन मूलभूत क्षमताओं अर्थात् दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित एवं ज्ञानवान होना और शानदार आर्थिक जीवन-स्तर का आनन्द लेना, की दृष्टि से प्रगति का आकलन करता है। एच.डी.आर. 2010 के अनुसार, 2010 में भारत का मानव विकास सूचकांक 119वीं समग्र वैश्विक रैंकिंग (169 देशों में से) के साथ 0.519 था, जबकि 2007 (एच.डी.आर. 2009) में 134वीं (182 देशों में से) रैंकिंग थी। तथापि, 1980-2010 के दौरान (सारणी 12.1) के रुझानों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि एचडीआई रैंकिंग के कम होते हुए भी भारत ने एच.डी.आई. वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से अधिकांश देशों (बहुत उच्च एवं उच्च मानव विकास सहित) की तुलना में बेहतर निष्पादन किया है। भारत ने (1980-2010) छोटे एच.डी.आई. सुधार रैंक के साथ चीन को छोड़कर अधिकांश तुलनीय देशों के निष्पादन की तुलना में अधिक बेहतर निष्पादन किया है। (देखें सारणी 12.1)

12.4 तथापि, आत्म संतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत अभी भी समान श्रेणी के भीतर ही बेहतर समग्र एच.डी.आई. रैंकिंग रखने वाले देशों अर्थात् चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपिन्स, मिस्र, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी संकेतकों में मौजूदा अन्तर ने केवल विकसित देशों बल्कि कई विकासशील देशों की तुलना में भी यह इंगित करता है कि बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा को और अधिक तेजी से

सारणी 12.1 : एच.डी.आई. के 1980-2010 के दौरान रुझान

एच.डी.आई. देश	1980	1990	1995	2000	2005	2009	2010	औसतन वार्षिक एचडीआई वृद्धि-दर (प्रतिशत)			एच.डी.आई. सुधार रैंक
								1980-2010	1990-2010	2000-2010	1980-2010*
1 नोर्वे	0.788	0.838	0.869	0.906	0.932	0.937	0.938	0.58	0.56	0.34	34
2 आस्ट्रेलिया	0.791	0.819	0.887	0.914	0.925	0.935	0.937	0.57	0.67	0.25	35
41 पोलैंड	—	0.683	0.710	0.753	0.775	0.791	0.795	—	0.76	0.54	—
57 मलेशिया	0.541	0.616	0.659	0.691	0.726	0.739	0.744	1.06	0.94	0.73	19
65 रूस	—	0.692	0.644	0.662	0.693	0.714	0.719	—	0.19	0.82	—
73 ब्राजील	—	—	—	0.649	0.678	0.693	0.699	—	—	0.73	—
83 तुर्की	0.467	0.552	0.583	0.629	0.656	0.674	0.679	1.24	1.03	0.76	14
89 चीन	0.368	0.460	0.518	0.567	0.616	0.655	0.663	1.96	1.83	1.57	2
91 श्रीलंका	0.513	0.558	0.584	—	0.635	0.653	0.658	0.83	0.82	—	51
92 थाईलैंड	0.483	0.546	0.581	0.600	0.631	0.648	0.654	1.01	0.90	0.86	29
97 फिलीपिन्स	0.523	0.552	0.569	0.597	0.619	0.635	0.638	0.66	0.72	0.67	78
101 मिश्र	0.393	0.484	0.523	0.566	0.587	0.614	0.620	1.52	1.23	0.90	8
108 इंडोनेशिया	0.390	0.458	0.508	0.500	0.561	0.593	0.600	1.43	1.35	1.82	12
110 दक्षिण अफ्रीका	—	0.601	0.634	—	0.587	0.594	0.597	—	-0.03	—	—
113 वियतनाम	—	0.407	0.457	0.505	0.540	0.566	0.572	—	1.70	1.24	—
119 भारत	0.320	0.389	0.415	0.440	0.482	0.512	0.519	1.61	1.44	1.66	6
125 पाकिस्तान	0.311	0.359	0.389	0.416	0.468	0.487	0.490	1.52	1.55	1.64	10
128 केन्या	0.404	0.437	0.435	0.424	0.443	0.464	0.470	0.50	0.37	1.03	87
129 बंगलादेश	0.259	0.313	0.350	0.390	0.432	0.463	0.469	1.99	2.03	1.86	3
विश्व	0.455	0.526	0.554	0.570	0.598	0.619	0.624	1.05	0.85	0.89	

स्रोत: एच.डी.आर. 2010

* संस्था में कमी, सुधार में तेजी विचलन का प्रयोग करते हुए आंकलित

सारणी 12.2 : 2010 में मानव विकास के संबंध में भारत की विश्व में स्थिति

देश	एचडीआई 2010	प्रति व्यक्ति जी.एन.आई. (पीपीपी2008 अम.डालर) 2010	जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा (वर्ष) 2010	स्कूली शिक्षा के औसत (वर्ष) 2010	स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष 2010*
नार्वे	0.938(1)	58,810	81.0	12.6	17.3
आस्ट्रेलिया	0.937(2)	38,692	81.9	12.0	20.5
पोलैंड	0.795 (41)	17,803	76	10.0	15.2
मलेशिया	0.744 (57)	13,927	74.7	9.5	12.5
रूस	0.719 (65)	15,258	67.2	8.8	14.1
ब्राजील	0.699 (73)	10,607	72.9	7.2	13.8
तुर्की	0.679 (83)	13,359	72.2	6.5	11.8
चीन	0.663 (89)	7258	73.5	7.5	11.4
श्रीलंका	0.658 (91)	4486	74.4	8.2	12.0
थाईलैंड	0.654 (92)	8001	69.3	6.6	13.5
फिलीपिन्स	0.638 (97)	4002	72.3	8.7	11.5
मिश्र	0.620 (101)	5889	70.5	6.5	11.0
इंडोनेशिया	0.600 (108)	3957	71.5	5.7	12.7
दक्षिण अफ्रीका	0.597 (110)	9812	52.0	8.2	13.4
वियतनाम	0.572 (113)	2995	74.9	5.5	10.4
भारत	0.519 (119)	3337	64.4	4.4	10.3
पाकिस्तान	0.490(125)	2678	67.2	4.9	6.8
केन्या	0.470(128)	1,628	55.6	7.0	9.6
बंगलादेश	0.469(129)	1587	66.9	4.8	8.1
विश्व	0.624	10,631	69.3	7.4	12.3

स्रोत : एचडीआर 2010

टिप्पणी : *विनिर्दिष्ट वर्ष तुलना में हाल ही के वर्ष के संबंध में कॉलम 2 में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 169 देशों में उनकी रैंकिंग है।

सबको मुहैया कराने की जरूरत है। 2010 में जन्म के समय जीवन की संभावना भारत में 64.4 वर्ष थी, जबकि नार्वे में 81 वर्ष, अस्ट्रेलिया में 81.9 वर्ष, श्रीलंका में 74.4 वर्ष और चीन में 73.5 वर्ष थी (सारणी 12.2)। यह 69.3 वर्ष की वैश्विक औसत से कम है। इसी प्रकार, स्कूली शिक्षा के औसत एवं संभावित वर्षों की दृष्टि से भी भारत का निष्पादन न केवल श्रीलंका, चीन, मिस्र और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में काफी कम है, बल्कि वैश्विक औसत से भी कम है।

12.5 लिंग समानता सूचकांक (जी.ई.आई.) की दृष्टि से भारत का 2008 में 0.748 के सूचकांक मूल्य के साथ कुल 168 देशों में से 122वां रैंक था। लिंग समानता सूचकांक पुनरुत्पादक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम शक्ति की भागीदारी के क्षेत्रों में लिंग असमानताओं के कारण उपलब्धि में 0 (पूर्ण समानता) से लेकर 1 (समग्र असमानता) की रेंज में मूल्यों की हानि को दर्शाता है। 0.748 का लिंग समानता सूचकांक मूल्य चीन (0.405) और श्रीलंका (0.599) जैसे देशों की तुलना में भारत में भारी लिंग भेदभाव को दर्शाता है।

भारत की सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति

12.6 अब मानव विकास में योगदान देने वाली नीतियों की ओर आते हुए इस ओर ध्यान देना उल्लेखनीय है कि सामाजिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास (योजना व गैर-योजना) पर केन्द्र सरकार का

व्यय कुछ वर्षों के दौरान निरन्तर बढ़ा है (सारणी 12.3)। यह 2005-06 में 13.75 प्रतिशत था, जो 2010-11 में बढ़कर 19.27 प्रतिशत हो गया। हालांकि सामाजिक क्षेत्र के अधिकांश विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, फिर भी सामाजिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न रूपों में सहायता देना जारी है। राज्यों को बृहद् कार्यक्रम विशिष्ट निधियन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए उपलब्ध है।

12.7 सामाजिक सेवाओं, जिनमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं सफाई, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) का कल्याण; श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत शामिल हैं, पर सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्यों की संयुक्त सरकार) द्वारा खर्च में भी हाल ही के वर्षों में वृद्धि दशायी गई है (सारणी 12.4) जो सामाजिक सेवाओं की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च, जो 2005-06 में 21.1 प्रतिशत था, सकल व्यय के अनुपात के रूप में बढ़कर 2008-09 में 23.8 प्रतिशत और फिर 2010-11 (ब.अ.) में बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इसका हिस्सा 2005-06 में 5.49 प्रतिशत था जो बढ़कर 2010-11 (ब.अ.) में 6.63 प्रतिशत हो गया है। शिक्षा पर 2005-06 में

सारणी 12.3 : सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न)						
मद	(कुल व्यय का प्रतिशत)					
	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09* वास्तविक	2009-10 संअ°	2010-11 संअ°
1. सामाजिक सेवा						
क. शिक्षा, खेल, युवा मामले	3.71	4.28	4.02	4.04	3.96	4.46
ख. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.89	1.87	2.05	1.91	1.90	2.03
ग. जलापूर्ति, आवास आदि	2.08	1.72	2.02	2.31	2.20	2.27
घ. सूचना एवं प्रसार	0.30	0.25	0.22	0.22	0.20	0.22
ड. अनु. जाति/अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.33	0.34	0.36	0.35	0.41	0.63
च. श्रम एवं रोजगार	0.25	0.32	0.27	0.27	0.22	0.25
छ. सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.84	0.85	0.82	0.72	0.79	1.06
ज. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	1.56	1.50	1.75
झ अन्य सामाजिक सेवाएं	0.40	-0.17	1.29	1.55	1.87	1.34
जोड़	9.79	9.47	11.06	12.94	13.06	14.02
2. ग्रामीण विकास	3.12	2.84	2.80	4.50	4.27	4.17
3. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	0.83	1.08	0.91	0.88	1.11	1.08
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और पीएमजीएसवाई	13.75	13.38	14.77	18.32	18.44	19.27
5. केन्द्र सरकार का कुल व्यय	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : बजट दस्तावेज और ग्रामीण विकास मंत्रालय।

टिप्पणी : अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग; पीएमजीएसवाई-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना; सं. अ°-संशोधित अनुमान

* : अनन्तिम

सारणी 12.4: सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए खर्च की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

मद	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 संअ०	2010-11 ब०अ०
कुल व्यय	9,59,855	11,09,174	13,16,246	15,95,110	19,09,380	20,71,147
सामाजिक सेवाओं पर व्यय जिसमें से	2,02,672	2,39,340	2,94,584	3,80,269	4,76,351	5,22,492
i) शिक्षा	96,365	1,14,744	1,29,366	1,61,360	2,04,986	2,35,035
ii) स्वास्थ्य	45,428	52,126	63,226	73,898	90,700	99,738
iii) अन्य	60,879	72,470	1,01,992	1,45,011	1,80,665	1,87,719
	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय	25.99	25.83	26.40	28.57	29.15	26.29
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	5.49	5.57	5.91	6.81	7.27	6.63
जिसमें से						
i) शिक्षा	2.61	2.67	2.59	2.89	3.13	2.98
ii) स्वास्थ्य	1.23	1.21	1.27	1.32	1.38	1.27
iii) अन्य	1.65	1.69	2.05	2.60	2.76	2.38
	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में					
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	21.1	21.6	22.4	23.8	24.9	25.2
जिसमें से						
i) शिक्षा	10.0	10.3	9.8	10.1	10.7	11.3
ii) स्वास्थ्य	4.7	4.7	4.8	4.6	4.8	4.8
iii) अन्य	6.3	6.5	7.7	9.1	9.5	9.1
	सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में					
i) शिक्षा	47.5	47.9	43.9	42.4	43.0	45.0
ii) स्वास्थ्य	22.4	21.8	21.5	19.4	19.0	19.1
iii) अन्य	30.0	30.3	34.6	38.1	37.9	35.9

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए अनुसार।

ब० अ०—बजट अनुमान

सं० अ०—संशोधित अनुमान

सकल व्यय के अनुपात के रूप में 10 प्रतिशत खर्च हुआ जो मामूली तौर पर बढ़कर 2010-11 (बजट अनुमान) में 11.3 प्रतिशत हो गया है जबकि स्वास्थ्य पर 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 1.23 प्रतिशत खर्च हुआ जो बढ़कर 2010-11 (बजट अनुमान) में 1.27 प्रतिशत हो गया है। सकल खर्च में इसका हिस्सा 2005-06 में 4.7 प्रतिशत था जो मामूली रूप से बढ़कर 2010-11 (ब.अ.) में 4.8 प्रतिशत हो गया है।

समावेशी विकास

12.8 यह वर्ग और दूसरा वह जो सामाजिक-क्षेत्र की पहलों का पालन करता है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति को दर्शाने के अलावा, गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे समग्र विकास के दो बड़े आयामों की जांच करता है।

12.9 समग्र विकास के दो प्रमुख घटक हैं— सामाजिक और वित्तीय समावेशन। नियोजित आर्थिक विकास के छह दशकों से भी

अधिक समय बीत जाने के बावजूद, आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग; विशेषकर भूमिहीन कृषि श्रमिकों; मझोले किसानों; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक एवं वित्तीय बहिष्कार का सामना करता है। तदनुसार, सरकारी नीतियां इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए बनाई गई हैं ताकि प्रत्येक वर्ग विकास का लाभ प्राप्त कर सके।

12.10 सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन के बीच गहरा संबंध है। तदनुसार, सरकार के अनु. जाति, अनु-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अशक्त व्यक्तियों जैसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत वर्गों को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाने के लिए कई स्कीमों बनाई हैं। इनमें से कुछ कम ब्यौरा सारणी 12.5 पर दिया गया है। समावेशी विकास के एक बड़े कदम के रूप में “स्वाभिमान” 10 फरवरी 2011 को शुरू किया गया जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए शाखारहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। बैंक कारोबारी सुविधाकर्ता (बैंक साथी) की सेवाओं को इस्तेमाल करके जमा करने, आहरण और विप्रेषण जैसी बुनियादी सेवाएं

सारणी 12.5 : एन.एस.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एन.एच.एफ.डी.सी. के तहत संवितरित ऋण/शामिल लाभानुभोगियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	कॉरपोरेशन	वितरित ऋण की राशि (₹ करोड़)				लाभानुभोगियों की संख्या			
		आवधिक ऋण	माइक्रो वित्त	अन्य	कुल	आवधिक ऋण	माइक्रो वित्त	अन्य	कुल
1	एन.एस.एफ.डी.सी.	79.94	41.12	-	121.06	9,597	21,897	2,165	33,659
2	एन.एस.के.एफ.डी.सी.	36.67	10.53	17.79	64.99	3,525	4,525	7,371	15,421
3	एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	62.27	44.50	-	106.77	31,489	49,171	-	80,660
4	एन.एच.एफ.डी.सी.	17.63	2.15	0.08	19.86	3,438	1,070	3	4,511*
कुल:		196.51	98.3	17.87	312.68	48,049	76,663	9,539	1,34,251

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

टिप्पणियां: *विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के लिए जारी अग्रिम धनराशि से औसत ऋण के आधार पर लाभानुभोगियों की अनुमानित संख्या शामिल है। एन.एस.सी.एफ.डी.सी.–राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम; एन.एस.के.एफ.डी.सी.–राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम; एन.बी.सी.एफ.डी.सी.–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम; एन.एस.एफ.डी.सी.–राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम।

मुहैया कराएंगे। इस कदम से सरकारी सब्सिडियां और सामाजिक सुरक्षा के लाभ लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा कराए जा सकेंगे जिससे वे अपने गांव में ही कारोबारी सुविधाकर्ता की मदद से पैसा निकाल पाएंगे।

12.11 पूर्वोत्तर के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि, सकल

राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वृद्धि एवं साक्षरता दर जैसे कुछ प्राचलों की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य अपेक्षाकृत बेहतर कार्य कर रहे हैं, फिर भी ये वित्तीय समायोजन की दृष्टि से अब भी काफी पीछे हैं। जनजातीय आबादी, जो जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है, देश के शेष हिस्सों में दिखाई देने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास से कोसों दूर है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में उनकी अपनी गैर-ईसाई (एथनिक) एवं सामाजिक-आर्थिक

बॉक्स 12.1: पूर्वोत्तर राज्य एवं वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष राष्ट्र से पिछड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकों का पदार्पण बहुत विलम्ब से हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में से केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थानीय बैंक थे, जो पिछले कुछ दशकों से कार्य कर रहे हैं। इन राज्यों में निजी क्षेत्र के बैंकों की धीमी उपस्थिति सुस्पष्ट है। यदि ब्रांच नेटवर्क की घोर अपर्याप्तता वित्तीय समावेशन में रुकावट डालने वाले एक कारक है, तो राजनीतिक उथल-पुथल के फलस्वरूप कुछ मौजूदा शाखाओं का कार्य न करना दूसरा। ऋण देने के लिए कुछ बैंकों ने किसानों को उदारता से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। गरीबों को माइक्रो-फाइनेंस मुहैया कराने के लिए बड़ी संख्या में स्वयं-सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित किया गया है। अब भी बैंक की शाखाओं द्वारा कवर कर लिए गए लोगों की तुलना में उन लोगों की संख्या अधिक है जो बैंकों तक नहीं पहुंच सके हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों की पैठ का औसत बहुत कम है। घरेलू अस्तित्वा संबंधी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में बैंकों के प्रवेश का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है और मणिपुर में यह अनुपात सबसे कम है (देखें तालिका)।

सारणी

(प्रतिशत में)

राज्य	बैंकों का प्रवेश-अनुपात	राज्य	बैंकों का प्रवेश-अनुपात
मणिपुर	8.7	नागालैंड	15.9
असम	20.5	मेघालय	20.8
त्रिपुरा	26.5	सिक्किम	29.7
मिजोरम	31.8	अरुणाचल प्रदेश	37.5
राष्ट्रीय औसत	35.8		

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के 59वें राउंड (2003) के आंकड़ों से पता चलता है कि सम्पूर्ण खेतिहर परिवारों की तुलना में संस्थागत संसाधनों से कर्ज लेने से वंचित किए गए खेतिहर परिवारों का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों में 96 जितना अधिक है। इस प्रकार, बैंकिंग विकास के सूचकों से बैंकों की खराब स्थिति तथा उसके फलस्वरूप इन राज्यों में वित्तीय पहुंच के धीमे स्तर का पता चलता है।

केन्द्र सरकार की 1996 में घोषित “पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नई पहल” में इस क्षेत्र के समेकित विकास हेतु पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना करने सहित कई उपाय प्रस्तुत किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 2006 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र की योजना हेतु एक समिति गठित की है। अशिक्षित ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय सहयोग से सभी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। तथापि, पूर्वोत्तर के वित्तीय समावेशन के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

समस्याएं हैं, जिनका कोई सर्वमान्य समाधान नहीं है। फलस्वरूप, नीतिगत उपायों को कार्यान्वित करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, कम वृद्धि-दर, कम आबादी घनत्व, अवसंरचना-विकास का अभाव और विप्लव की समस्या अंतर्निहित समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर में सामाजिक समावेशन वित्तीय समावेशन से एकदम सम्बद्ध है तथा इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है (बॉक्स 12.1)। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए नीतियों को पुनर्गठित करके और अधिक तेजी से समग्र विकास करना था। इस नीतिगत पैराडाइम के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने भी बैंकिंग प्रणाली के लक्ष्य के रूप में वित्तीय समावेशन के साथ विस्तृत कार्यक्रम शुरू किए हैं।

गरीबी और समावेशी विकास

12.12 एच.डी.आर. 2010 एक नए पैरामीटर अर्थात् बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) के रूप में गरीबी का आंकलन करता है। यह 1997 से उपयोग में लाए जा रहे मानव गरीबी सूचकांक (एच.पी.आई.) के स्थान पर लाया गया है। एम.पी.आई. बहुआयामी तौर पर उस गरीब आबादी के हिस्से को

इंगित करता है जो जीवन-स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से घोर अभाव में जीता है। इस पैरामीटर के अनुसार जब चीन और श्रीलंका जैसे देशों से तुलना करते हैं तो भारत को 0.296 गरीबी सूचकांक और 41.6 प्रतिशत गरीबी अनुपात (1.25 + पी.पी.पी. प्रतिदिन के हिसाब से) तथा 28.6 प्रतिशत (राष्ट्रीय गरीबी रेखा) के साथ संतोषजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में, भारत के मामले में गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे की आबादी में अंतर उस समय अधिक हो जाता है जब इस सूचकांक का इस्तेमाल राष्ट्रीय गरीबी रेखा के सूचकांक के स्थान पर किया जाता है, जबकि दूसरे देशों के मामले में अंतर कम है और कई मामलों में तो अंतर खत्म हो गया है (सारणी 12.6)।

12.13 योजना आयोग, जो राष्ट्रीय और राज्य-स्तरों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाने के लिए नोडल एजेंसी है लगभग पांच वर्ष के अन्तराल के बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एन.एस.एस. ओ.) द्वारा किए गए परिवार के उपयोग पर हुए खर्च के बृहद नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है।

सारणी 12.6 : बहुआयामी गरीबी सूचकांक

देश	बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2000-2008**	गरीबी रेखा से कम आय वाली आबादी	
		\$ 1.25 पी.पी.पी. प्रतिदिन 2000-2008**	राष्ट्रीय गरीबी रेखा 2000-2008**
पोलैंड	— (41)	2 से कम	14.8
मलेशिया	— (57)	2 से कम	12.8
रूस	0.005 (65)	2 से कम	19.6
ब्राजील	0.039 (73)	5.2	21.5
तुर्की	0.039 (83)	2.6	27
चीन	0.056 (89)	15.9	2.8
श्रीलंका	0.021 (91)	14	22.7
थाइलैंड	0.006 (92)	2 से कम	—
फिलीपिन्स	0.067 (97)	22.6	—
मिश्र	0.026 (101)	2 से कम	16.7
इंडोनेशिया	0.095 (108)	29.4	16.7
दक्षिण अफ्रीका	0.014(110)	26.2	22.0
वियतनाम	0.075(113)	21.5	28.9
भारत	0.296 (119)	41.6	28.6
पाकिस्तान	0.275(125)	22.6	—
केन्या	0.302(128)	19.7	46.6
बंगलादेश	0.291(129)	49.6	40.0

स्रोत: एच.डी.आर. 2010

टिप्पणी: * सभी संकेतक सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं थे; अतः (क्रास कन्ट्री तुलना) देश के एक हिस्से की तुलना दूसरे हिस्से से करते समय सावधानी बरती जाए।

** ये आंकड़े विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान नितान्त हाल ही के वर्षों में उपलब्ध आंकड़ों से संबंधित हैं। कॉलम 2 में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 169 देशों में उनकी रैंकिंग को दर्शाते हैं।

सारणी 12.7 : यू.आर.पी. और एम.आर.पी. द्वारा गरीबी अनुपात

(प्रतिशत)			
क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष	
यू.आर.पी. पद्धति द्वारा		1993-94	2004-05
1.	ग्रामीण	37.3	28.3
2.	शहरी	32.4	25.7
3.	अखिल भारत	36.0	27.5
एम.आर.पी. पद्धति द्वारा		1999-2000	2004-05
1.	ग्रामीण	27.1	21.8
2.	शहरी	23.6	21.7
3.	अखिल भारत	26.1	21.8

स्रोत: योजना आयोग

यह आयोग “एस्टीमेशन ऑफ नंबर एंड प्रोपोरशन ऑफ पुअर” नामक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट लकड़ावाला समिति रिपोर्ट के रूप में प्रसिद्ध द्वारा दी गई पद्धति के आधार पर 1997 से गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का आकलन कर रहा है। 61वें दौर (जुलाई 2004 से जून, 2005 तक) के उपभोक्ता खर्च पर एन.एस.एस. के आंकड़ों के आधार पर 2004-05 में यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि (यू.आर.पी., जिसमें सभी मदों के लिए उपभोक्ता खर्च संबंधी आंकड़े 30 दिन की रिकॉल अवधि के लिए एकत्र किए जाते हैं) का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के अनुपात का अनुमान ग्रामीण इलाकों में 28.3 प्रतिशत शहरी इलाकों में 25.7 प्रतिशत और सम्पूर्ण देश के लिए 27.5 प्रतिशत तथा मिक्स्ड रिकॉल अवधि (एम.आर.पी., जिसमें पांच गैर-आहार मदों अर्थात् वस्त्रों, जूतों, टिकाऊ सामानों, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा खर्चों पर होने वाले उपभोक्ता खर्च संबंधी आंकड़े 365 दिन की रिकॉल अवधि के लिए तथा शेष मदों के लिए उपभोक्ता आंकड़े 30 दिन की रिकॉल अवधि के लिए एकत्र किए जाते हैं) का उपयोग करते हुए ग्रामीण इलाकों में 21.8 प्रतिशत, शहरी इलाकों में 21.7 प्रतिशत और सम्पूर्ण देश के लिए 21.8 प्रतिशत लगाया गया है। यू.आर.पी. खपत (27.5) के आधार पर 2004-05 में गरीबी के अनुमान 1993-94 (36) के गरीबी के अनुमानों से तुलनीय हैं। एम.आर.पी. खपत (करीब 21.8) के आधार पर 2004-05 के गरीबी के अनुमान मोटे तौर पर (एकदम सही-सही नहीं) 1999-2000 (26.1) के अनुमानों से तुलनीय हैं। सारणी 12.7 यू.आर.पी. और एम.आर.पी. पद्धतियों के आधार पर गरीबी के तुलनीय अनुमानों को दर्शाती हैं।

गरीबी तथा बी.पी.एल. परिवारों के आंकलन हेतु पद्धति

12.14 हालांकि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी का आंकलन, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से, योजना आयोग द्वारा किया जाता है, फिर भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण इलाकों

में गरीबी रेखा से नीचे के अलग-अलग परिवारों का पता लगाने के लिए बी.पी.एल. जनगणना करा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे परिवारों की कुल संख्या योजना आयोग के अनुमानों के अनुरूप हो। गरीबी का आकलन और बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने की पद्धति पर हमेशा से वाद-विवाद होता रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों की जांच करने के लिए तीन अलग-अलग समितियां गठित की गई हैं। (बाक्स 12.2)

असमानता

12.15 एच.डी.आर. 2010 के अनुसार, भारत में 2000-10 अवधि में आय की दृष्टि से असमानता का जीनी गुणांक 36.8 था। भारत का जीनी सूचकांक दक्षिण अफ्रीका (57.8), ब्राजील (55) थाइलैंड (42.5), तुर्की (41.2), चीन (41.5), श्रीलंका (41.1), मलेशिया (37.9), वियतनाम (37.8), इंडोनेशिया (37.6) जैसे तुलनीय देशों के जीनी सूचकांक ही नहीं, अमरीका (40.8), सिंगापुर (42.5), हांगकांग (43.4), पुर्तगाल (38.5), और पोलैंड (34.9), जिनका अन्यथा भी मानव विकास में बहुत ऊंचा स्थान है, के जीनी सूचकांकों से भी अधिक अनुकूल था।

12.16 भारत में लॉरेंज अनुपात (जो जीनी गुणांक की तरह सापेक्ष असमानता का एक मापक है तथा निम्नतम स्तर की कतिपय प्रतिशत आबादी द्वारा संचयी रूप से अर्जित की जाने वाली आबादी की सकल आय का अंश अंकित करता है) में दर्शायी गई अन्तर-राज्यीय असमानता का अनुमान 2004-05 के लिए एन.एस.एस.ओ. द्वारा परिवार उपभोक्ता खर्च के आधार पर लगाया गया है। ग्रामीण भारत के लिए सकल खपत व्यय का लॉरेंज अनुपात 0.30 था, जबकि शहरी भारत के लिए यह 0.37 था, जो शहरी इलाकों में उच्च सापेक्ष असमानता, यथा संभावित, को दर्शाता है। केरल (0.341), हरियाणा (0.323), तमिलनाडु (0.315) और महाराष्ट्र (0.310) की तुलना में असम (0.197), मेघालय (0.155), और मणिपुर (0.158) के ग्रामीण इलाकों में कम असमानता देखी गई थी। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ (0.439), गोवा (0.405), केरल (0.400) और मध्य प्रदेश (0.397) की तुलना में अरुणाचल प्रदेश (0.243), जम्मू एवं कश्मीर (0.244), मेघालय (0.258) और मणिपुर (0.175) के शहरी इलाकों में कम असमानता देखी गई। सकल खपत व्यय में असमानताओं की तुलना में खाद्यान्नों की खपत में असमानताएं कम देखी गईं, जबकि कुल खपत की तुलना में टिकाऊ सामान की खपत में अधिक असमानताएं हैं।

रोजगार

12.17 ग्यारहवीं योजना में सापेक्ष वृद्धि हासिल करने के लिए मुख्य रणनीति, पर्याप्त पैमाने पर कार्य करने की शानदार परिस्थितियों के साथ उत्पादी एवं लाभदायक रोजगार का सृजन करना रही है

बॉक्स 12.2 : गरीबी और बी.पी.एल. परिवारों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समूह**1. गरीबी का आकलन करने वाली पद्धति की समीक्षा करने के लिए तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट**

योजना आयोग ने दिसम्बर, 2005 में गरीबी का आकलन करने वाली पद्धति की समीक्षा करने के लिए प्रो० सुरेश डी० तेन्दुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस विशेषज्ञ समूह ने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को अभिस्वीकार करते हुए विशेषज्ञ समूह ने गरीबी रेखा को केलौरी इन्टेक मानक के बजाए भावी गरीबी रेखा के आधार के तौर पर खपत खर्च के एम.आर.पी. आधारित अनुमानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए पी.एल.बी सन्दर्भ के तौर पर 25.7 प्रतिशत शहरी आबादी अनुपात के अनुरूप शहरी गरीबी रेखा समूह (पी.एल.बी.) के एम.आर.पी. समकक्ष को अपनाए जाने की सिफारिश की है। उपर्युक्त पद्धति के आधार पर 2004-05 में अखिल भारतीय ग्रामीण गरीबी आबादी अनुपात 41.8 प्रतिशत, शहरी 25.7 प्रतिशत और अखिल भारतीय 37.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि तेन्दुलकर कमेटी के अनुमान विभिन्न पद्धतियों के कारण गरीबी के सरकारी अनुमानों से सही-सही तुलनीय नहीं हैं। 1993-94 और 2004-05 के संगत अनुमान इस तालिका में दर्शाए गए हैं।

गरीबी अनुपात

वर्ष	1993-94			2004-05		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
योजना आयोग (यू.आर.पी.)	37-3	32-4	36-0	28-3	25-7	27-5
तेन्दुलकर के अनुमान (2004-05) (एम.आर.पी.)	50-1	31-8	45-3	41-8	25-7	37-2

जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्धि मूल्यांकन में दर्शाया गया है, तेन्दुलकर समिति द्वारा 2004-05 के लिए यथा संस्तुत संशोधित गरीबी रेखा की योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तेन्दुलकर समिति ने विशिष्ट रूप से उल्लेख किया कि 2004-05 में नई ग्रामीण गरीबी रेखा के लागू करने के फलस्वरूप ग्रामीण गरीबी की प्रतिशतता में ऊर्ध्वमुखी संशोधन से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि समय के साथ-साथ गरीबी की सीमा बढ़ गई है। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि हम चाहे पुरानी पद्धति को अपनाएं अथवा नई पद्धति को, बी.पी.एल. आबादी की प्रतिशतता लगभग उसी मात्रा में घटेगी।

II. ग्रामीण इलाकों में बी.पी.एल. जनगणना कराने के लिए पद्धति की समीक्षा करने के लिए सक्सैना समिति की रिपोर्ट

ग्रामीण इलाकों में बी.पी.एल. परिवारों की पहचान के लिए किसी उपयुक्त पद्धति की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉ० एन.सी. सक्सैना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस विशेषज्ञ समूह ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा बी.पी.एल. जनगणना 2002 में आने वाले ग्रामीण परिवारों की स्कोर आधारित रैंकिंग को समाप्त करने की सिफारिश की। समिति ने कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के अपने आप से बहिष्करण तथा सोसाइटी के कतिपय वंचित और अत्यंत कमजोर वर्गों के स्वमेव समावेशन तथा 10 के पैमाने पर उनको रैंक देने के लिए शेष आबादी का सर्वेक्षण कराने की सिफारिश की है।

स्वमेव बहिष्करण

वे परिवार जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करेंगे उनका बी.पी.एल. जनगणना के लिए सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा:

- जिन परिवारों के पास प्रति खेत/परिवार आंशिक तौर पर अथवा पूर्णतः सिंचित कृषिगत भूमि जिला औसत भूमि से दुगुनी हो तीन गुना यदि पूर्णतः असिंचित है।)
- जिन परिवारों के पास जीप और एस.यू.वी. जैसे तीन अथवा चार पहिए वाले मोटरयुक्त वाहन हों।
- जिन परिवारों के पास ट्रैक्टर, पावर टिलर, श्रेशर और हार्वेस्टर जैसा कम से कम कोई एक यंत्रचालित फार्म उपकरण हो।
- जिन परिवारों का कोई एक व्यक्ति किसी गैर-सरकारी/निजी संगठन में 10,000 रु प्रति माह से अधिक वेतन आहरित कर रहा हो अथवा पेंशन अथवा सामान लाभों के साथ नियमित आधार पर सरकार में नियोजित हो।
- आयकर दाता हो।

स्वमेव समावेशन

- निम्नलिखित को अनिवार्यतः बी.पी.एल. सूची में शामिल किया जाएगा:
- आदिकालीन जनजाति वर्ग के रूप में नामोद्दिष्ट
- अनुसूचित जाति के वर्गों में सर्वाधिक भेदभाव-ग्रस्त वर्ग अर्थात् महादलित वर्ग के रूप में नामित
- एकल महिला-शीर्ष वाला परिवार
- जीविका अर्जक के रूप में अशक्त व्यक्ति वाला परिवार
- अवयस्क-शीर्ष वाला परिवार
- वे असहाय परिवार जो उत्तर जीविता हेतु मुख्यतः भिक्षा पर आश्रित हैं।
- बेघर परिवार
- वे परिवार जिनमें सदस्य के रूप में कोई बंधुआ मजदूर हो।

शेष ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा अंक समिति द्वारा संस्तुत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्राचलों के आधार पर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रायोगिक अध्ययन तथा सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) कराने की प्रक्रिया में है ताकि कार्य-प्रणाली के साथ तालमेल अच्छा हो सके।

III. शहरी इलाकों में बी.पी.एल. परिवारों की पहचान हेतु कार्य-प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समूह (एस.आर. हाशिम समिति)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.) शहरी इलाकों में बी.पी.एल. परिवारों को अभिज्ञात करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने हेतु नोडल मंत्रालय है। अब तक, शहरी गरीबों का पता लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोई एक समान कार्य-प्रणाली नहीं अपनाई जा रही है। योजना आयोग द्वारा प्रो० एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है ताकि शहरी इलाकों में बी.पी.एल. परिवारों की पहचान हेतु किसी कार्य-प्रणाली की सिफारिश की जा सके। आशा है कि यह विशेषज्ञ समूह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगा।

ताकि बढ़ती हुई श्रम शक्ति को समाविष्ट किया जा सके। ग्यारहवीं योजना (2007-12) का उद्देश्य इक्कीस उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में कार्य करने के 58 मिलियन अवसर उत्पन्न करना है ताकि योजना के अन्त तक बेरोजगारी की दर 4.83 प्रतिशत तक गिर सके। रोजगार-बेरोजगारी के संबंध में एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण का 64वां दौर (2007-08) दर्शाता है कि 2004-05 और 2007-08 के बीच कार्य करने के 4 मिलियन अवसर उत्पन्न हुए।

12.18 जैसा कि एन.एस.एस.ओ. के आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षणों में विशिष्टता से दर्शाया गया है कि 1999-2000 से 2004-05 के दौरान वर्तमान दैनिक स्टेपस (सी.डी.एस.) के आधार पर रोजगार 1993-94 से 1999-2000 के दौरान देखी गई वृद्धि की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा था। 1999-2000 से 2004-05 के दौरान कार्य करने के करीब 47 मिलियन अवसर सृजित किए गए थे, जबकि 1993-94 और 1999-2000 के बीच की अवधि में कार्य करने के केवल 24 मिलियन अवसर सृजित किए गए थे तथा रोजगार वृद्धि की गति 1.25 प्रतिशत वार्षिक से बढ़कर 2.62 प्रतिशत वार्षिक हो गई। तथापि, चूंकि श्रम शक्ति कार्य-बल की तुलना में 2.84 प्रतिशत की अधिक तेज दर से बढ़ी, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ी। सी.डी.एस. आधार पर बेरोजगारी का प्रभाव 1999-2000 में 7.31 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2004-05 में 8.28 प्रतिशत हो गया।

बेरोजगारी

12.19 बेरोजगारी दर का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण का अगला पंचवर्षीय दौर अर्थात् एन.एस.एस. का 66वां दौर 2009-10 के दौरान शुरू किए गए फील्डवर्क के साथ चालू है। इस दौर पर आधारित अद्यतन जानकारी की प्रतीक्षा है। तथापि, 64वें दौर पर आधारित बेरोजगारी की अनुमानित दरें सारणी 12.8 में दर्शायी गई हैं। 2007-08 के दौरान बेरोजगारी के विभिन्न अनुमानों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि बेरोजगारी दर के

सारणी 12.8 : एन.एस.एस. को 64वें दौर (2007-08 से अखिल भारत की ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दरें*

क्रम संख्या	अनुमान	ग्रामीण	शहरी
1	यू.पी.एस.	2.2	4.5
2	यू.एस. (एड्ज)	1.6	4.1
3	सी.डब्ल्यू.एस.	3.9	5.0
4	सी.डी.एस.	8.4	7.4

टिप्पणियां* श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में। यू.पी.एस.—सामान्यतः प्रधान स्टेपस; यू.एस. (एड्ज)—अनुषंगी स्टेपस वाले कामगारों को छोड़कर सामान्यतः बेरोजगार; सी.डब्ल्यू.एस.—वर्तमान साप्ताहिक स्टेपस
 स्रोत: एन.एस. रिपोर्ट संख्या 531 (64/10.2/1)

सी.डी.एस. अनुमान विस्तृत होने के कारण उच्चतम हैं। साप्ताहिक और सामान्य स्टेपस दृष्टिकोण की तुलना में सी.डी.एस. दृष्टिकोण के अनुसार उच्च बेरोजगारी दर आंतराधिक बेरोजगारी की उच्च डिग्री को दर्शाती है। सी.डी.एस. दीर्घकाल तक बेरोजगार रहने वालों के बेरोजगारी वाले दिनों, प्रायः नियोजित रहने वाले उन लोगों के बेरोजगारी वाले दिनों, जो संदर्भ सप्ताह के दौरान आंतराधिक बेरोजगार हो जाते हैं तथा मौजूदा स्टेपस मानदंडों के अनुसार नियोजित के रूप में वर्गीकृत लोगों के बेरोजगारी वाले दिनों को शामिल करता है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

12.20 संगठित क्षेत्र, सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त, में 1994-2008 अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के कारण रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना प्रणाली के तहत आने वाली संस्थापनाओं में रोजगार 1983-94 के दौरान 1.20 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा, लेकिन 1994-2008 के दौरान वृद्धि में 0.05 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गिरावट आई। यह गिरावट मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थापनाओं में रोजगार वृद्धि में गिरावट के कारण आई। यह गिरावट पहले की अवधि में 1.53 प्रतिशत वार्षिक थी जो बाद की अवधि में (-)0.65 प्रतिशत वार्षिक हो गई। दूसरी ओर, गैर सरकारी क्षेत्र में 0.44 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत वार्षिक तक की त्वरित वृद्धि हुई (सारणी 12.9)

सारणी 12.9 : संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर (वार्षिक प्रतिशत)

	1983-94	1994-2008
सार्वजनिक क्षेत्र	1.53	-0.65
गैर-सरकारी क्षेत्र	0.44	1.75
सम्पूर्ण संगठित क्षेत्र	1.20	0.05

स्रोत: योजना आयोग और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.), श्रम और रोजगार मंत्रालय

वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी के प्रभाव

12.21 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण 2008-09 में वृद्धि-दर जो 9.0 प्रतिशत से अधिक थी, पिछले तीन वर्षों में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई। चूंकि सरकार नौकरियों के नुकसान और अतिरिक्त रोजगार के सृजन सहित भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के संभावित असर के बारे में चिंतित थी, इसलिए सरकार ने वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की। फलस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती से पुनः सुधरना संकट-पूर्व के स्तर के पास तक पहुंचना तथा विश्व में सर्वाधिक

बॉक्स 12.3 : जुलाई से सितम्बर, 2010 तक भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव से संबंधित आठवीं तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट

श्रम ब्यूरो ने भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन कराने के लिए आठ तिमाही तीव्र रोजगार सर्वेक्षण किए। चुनिंदा क्षेत्रों, अर्थात् परिधान सहित वस्त्र, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी./बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। (बी.पी.ओ.) तथा हथकरघा/बिजली करघा, के लिए परिणामों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है।

- विगत चार तिमाही सर्वेक्षणों अर्थात् सितम्बर, 2009 से सितम्बर 2010 तक के परिणामों की तुलना करने पर पता चला कि समग्र रोजगार में 12.96 लाख तक वृद्धि हुई, 8.54 लाख की सर्वाधिक वृद्धि आई.टी./बी.पी.ओ. में हुई और उसके बाद टेक्सटाइल में 1.52 लाख, धातुओं में 1.37 लाख, ऑटोमोबाइल्स में 1.10 लाख रत्न एवं आभूषण में 0.93 लाख रोजगारों की वृद्धि हुई।
- जुलाई 2009 से रोजगार में लगातार ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गई है। जुलाई से सितम्बर, 2010 वाली तिमाही के दौरान सभी आठों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा तथा समग्र रोजगार 4.35 लाख तक बढ़ा। क्षेत्रीय स्तर पर 2.45 लाख की सर्वाधिक वृद्धि मार्च, 2010 से जून, 2010 तक की अवधि के दौरान परिधान सहित वस्त्रों के क्षेत्र में हुई उसके बाद 1.08 लाख आई.टी./बी.पी.ओ. में 0.29 लाख ऑटोमोबाइल्स में तथा 0.27 लाख धातुओं के क्षेत्र में हुई।
- निर्यातानुमुखी इकाइयों में कुल 3.05 लाख रोजगार बढ़े जबकि निर्यात न करने वाली इकाइयों में जून, 2010 से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान 1.30 लाख तक रोजगार बढ़े।

तेज वृद्धि दर दर्ज कराना शुरू कर दिया। सरकार भारत में वैश्विक वित्तीय संकट और रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव की निरन्तर मॉनिटरिंग कर रही है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित तिमाही तीव्र रोजगार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जुलाई, 2009 से रोजगार में उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति कायम कर ली गई है। (बॉक्स 12.3)

सामाजिक-आर्थिक विकास: अन्तर-राज्यीय तुलना

12.22 समग्र विकास में अन्तर-राज्यीय और अन्तर-क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाने का उद्देश्य भी शामिल है। योजना आयोग की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में इस संबंध में विकास संकेतकों का प्रयोग करते हुए विस्तृत तुलना की गई थी। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी सरकारी कवायद नहीं की गई है फिर भी विभिन्न संगठनों द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 में भी सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर अन्तर-राज्यीय तुलना की गई थी। उपलब्ध संकेतकों के आधार पर चुनिन्दा राज्यों को सामाजिक-आर्थिक विकास की सारणी 12.10 में दी गई अन्तर-राज्यीय तुलना से कुछ दिलचस्प

परिणाम सामने आए हैं (बॉक्स 12.4)। तथापि, सावधान रहने की जरूरत है चूंकि कई महत्वपूर्ण संकेतकों के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

12.23 राज्यों का सामाजिक-आर्थिक निष्पादन अलग-अलग रहा है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों ने कई सूचकों के संदर्भ में अच्छा निष्पादन किया है, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड जैसे अब तक पिछड़े कई राज्य अच्छा विकास निष्पादन कर रहे हैं तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे कई पिछड़े राज्य एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. तथा एन.आर.एच.एम. जैसी गरीबी उपशमन रोजगार स्कीमों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

गरीबी-उन्मूलन और रोजगार-सृजन कार्यक्रम

12.24 भारत सरकार द्वारा व्यापक विकास के उद्देश्य से अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों इस प्रकार हैं:

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी स्कीम (एमजीएनआरइजीएस):

12.25 भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम गरीबों के जीवन को छूते हैं और व्यापक विकास को बढ़ावा देते हैं। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देना है। यह कार्य ऐसे कार्यों के माध्यम से किया जाना है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सुदृढीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूखा, वनों की कटाई और भूमि कटाव जैसे गरीबी के मूल कारणों को दूर करते हैं और इस प्रकार सतत विकास को प्रोत्साहन देते हैं। एमजीएनआरइजीएस का उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह अधिनियम पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और वित्त वर्ष 2007-08 में इसे 130 और जिलों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में अधिसूचित कर दिया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 5.26 करोड़ परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया था, जबकि 2008-09 में 4.31 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान एमजीएनआरइजीएस के लिए 40,100 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है जिसमें से 10 फरवरी, 2010 तक 29,822.59 करोड़ रुपए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक लगभग 4.10 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अवधि के दौरान इस स्कीम के तहत सृजित 145 करोड़ व्यक्ति दिनों में से 23% और 17% क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

बॉक्स 12.4 : भारतीय राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास

विकास संबंधी

- विकास की दृष्टि से 2002-03 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान सर्वोत्तम निष्पादक गुजरात था., उसके बाद बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और उत्तराखंड। सबसे खराब मध्य प्रदेश और उसके बाद असम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। दिलचस्प रूप से 2008-09 में सर्वोत्तम निष्पादक 16.59 प्रतिशत की विकास दर के साथ बिहार था। बिहार और उड़ीसा जैसे कुछ अब तक पिछड़े राज्यों द्वारा किया गया अच्छा विकास हालांकि स्वागत योग्य है, फिर भी यह विकास पिछले वर्षों में आई कमी की वजह से कमजोर आधार के प्रभाव के कारण आंशिक तौर पर भी हो सकता है। वास्तव में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड जैसे कई राज्य जिन्होंने 2002-03 से 2008-09 तक उच्च संवृद्धि दिखलाई, उन्होंने 1994-95 से 2001-2002 तक धीमी वृद्धि दिखलाई थी।

गरीबी संबंधी

- यू.आर.पी. और एम.आर.पी. दोनों दृष्टिकोणों से उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की प्रतिशतता बहुत अधिक है। इस सूचक की दृष्टि से पंजाब सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला राज्य है।
- जीनी गुणांक (ग्रामीण इलाकों में) द्वारा आंकी गई आय-असमानता सबसे अधिक हरियाणा में है और उसके बाद केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। हालांकि बिहार और असम के ग्रामीण इलाकों में असमानता सबसे कम है, इसका अभिप्राय: यह हुआ कि आय के कम स्तर वाले क्षेत्रों में अधिक समानता है।
- शहरी इलाकों में, आय की असमानता सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है और उसके बाद पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है।

स्वास्थ्य संबंधी

- शिशु मृत्यु-दर (आई.एम.आर.), अर्थात् जीवित जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं (एक वर्ष की आयु अथवा उससे कम आयु के) पर मरने वाले शिशुओं की संख्या जिसके लिए अपेक्षाकृत ताजे आंकड़े उपलब्ध हैं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और बिहार में थी। केरल अगले सर्वाधिक निष्पादक राज्य तमिलनाडु और महाराष्ट्र से कहीं अधिक सर्वोत्तम निष्पादक राज्य है।
- 2008 में केरल में जन्म-दर भी सबसे कम थी, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थी और उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में थी।
- जबकि सभी राज्यों में मृत्यु-दर में ज्यादा विचलन दिखाई नहीं देता। इस संबंध में उड़ीसा सबसे खराब निष्पादक राज्य है और उसके बाद मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश हैं।

शिक्षा संबंधी

- दिलचस्प रूप से, प्रारंभिक शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) की दृष्टि से सबसे अच्छा निष्पादक राज्य झारखंड था, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात थे तथा सबसे खराब निष्पादक राज्य हरियाणा, केरल और पंजाब हैं, जो अन्य कई क्षेत्रों में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य हैं। ऐसा पिछड़े राज्यों में प्राथमिक विद्यमानों में पढ़ रहे बच्चों के अधिवयस होने के कारण भी हो सकता है। कुछ पिछड़े राज्यों के आंकड़े कुछ संदेहास्पद भी हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए जी.ई.आर. सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में था जबकि बिहार सबसे खराब निष्पादक राज्य था।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के तहत 2009-10 के दौरान सबसे अधिक रोजगार राजस्थान में दिया गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में।
- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत व्यक्ति दिवसों में हिस्से को दृष्टि से अनुसूचित जातियों का हिस्सा सबसे अधिक पंजाब में और उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में, जबकि अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और उसके बाद झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में था। महिलाओं का हिस्सा सबसे अधिक केरल में और उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में।

एन.आर.एच.एम.

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे अधिक तमिलनाडु में चल रहे हैं और उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में।

लिए थे और 50% महिलाओं के लिए। एमजीएनआरईजीएस (बॉक्स 12.5) के बेहतर तथा और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, सुधार की काफी संभावना है जैसे स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना निर्माण कार्यों में प्रवेश, संपादन लागत में कमी, बेहतर निगरानी और शहरी क्षेत्रों में इसका विस्तार।

(ii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

12.26 एसजीएसवाई, बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण से आय अर्जित करने वाले आर्थिक क्रियाकलापों की शुरुआत करने के लिए सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर गरीब ग्रामीण परिवारों (स्वरोजगारों) की मदद के लिए अप्रैल, 1999 में प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम में

सारणी 12.10 : भारत के प्रमुख राज्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मदें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
01.10. 2010 की स्थिति के अनुसार अनुमानित जनसंख्या (व्यक्ति हजार में)	84,426	30,413	97,192	24,124	58,702	25,270	6,767
विकास संबद्ध (26 अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राज्यों की वास्तविक वृद्धि दरें - जीएसडीपी प्रतिशत							
2008-09	5.04	6.17	16.59	6.81	7.21***	7.92	7.44
1994-95 से 2001-02 तक औसत	5.70	2.21	4.94	3.16	6.45	6.47	6.81
2002-03 से 2008-09 तक औसत	8.20	5.51	9.80	9.28	11.19	9.28	7.77
निर्धनता संबद्ध (गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का %)							
*यूआरपी(2004-05)	15.8	19.7	41.4	40.9	16.8	14	10.0
*एमआरपी(2004-05)	11.1	15	32.5	32.0	12.5	9.9	6.7
जिनि कोएफिशिएंट (एमआरपी-2004-05)*							
ग्रामीण	0.24	0.17	0.17	0.24	0.25	0.31	0.26
शहरी	0.34	0.30	0.31	0.35	0.32	0.36	0.26
स्वास्थ्य संबद्ध (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा) (2002-06)**							
पुरुष	62.9	58.6	62.2	**	62.9	65.9	66.5
महिला	65.5	59.3	60.4	**	65.2	66.3	67.3
शिशु मृत्यु दरें (प्रति हजार जीवित जन्म) 2009	49.0	61.0	52.0	54.0	48.0	51.0	45.0
जन्म दर (प्रति 1000) 2009	18.3	23.6	28.5	25.7	22.3	22.7	17.2
जन्म दर (प्रति 1000) 2009	7.6	8.4	7.0	8.1	6.9	6.6	7.2
शिक्षा संबद्ध							
जीईआर (6-10 वर्ष) (2007-08) कुल	95.5	106.1	104.4	125.5	123.0	90.4	111.7
जीईआर (11-13 वर्ष) (2007-08) कुल	77.3	91.3	46.2	89.8	78.2	75.7	114.3
जीईआर (6-13 वर्ष) (2007-08) कुल	88.3	100.4	82.6	112.2	106.0	84.8	112.7
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (2007-08) (6-10 वर्ष)	32	38	68	43	30	53	18
मूलभूत सेवाएं:							
2007-08 में अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा कुल ऊर्जा खपत (जीडब्ल्यूएच) में प्रतिशत हिस्सा	9.73	0.51	0.88	2.11	8.81	3.64	1.00
एनआरएचएम 24x7 के अंतर्गत प्रगति (31.01.2010 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र)	800	343	533	418	331	318	95
सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों से संबन्धित 2009-10 के दौरान परिवारों को प्रदत्त रोजगार में प्रतिशत हिस्सा	11.71	4.06	7.85	3.85	3.04	0.30	0.95
एमजीएनआरआईजीएस के अंतर्गत 2009-10 के दौरान रोजगार में प्रतिशत हिस्सा							
अनु.जा.	24.68	12.15	45.3	15.32	14.87	53.59	33.36
अनु.ज.जा.	14.71	31.02	2.16	38.2	39.46	0.01	8.70
महिलाएं	58.10	27.70	30.04	49.21	47.55	34.81	46.09

स्रोत: योजना आयोग, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

*एमआरपी-मिश्रित स्मरण अवधि, * यूआरपी-एकसमान स्मरण अवधि,

**बिहार, मध्यप्रदेश, और उत्तरप्रदेश से संबंधित आंकड़ों में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड शामिल हैं।

प्रमुख कार्यों का चयन करना, कार्य समूह की योजना बनाना, गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना तथा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, अवसंरचना निर्माण करना तथा प्रौद्योगिकी एवं विपणन सहायता शामिल है एसजीएसवाई विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में असुरक्षित वर्गों पर ध्यान देती है जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 40% महिला स्वरोजगारी हैं। अल्पसंख्यकों और शारीरिक रूप से अक्षम

व्यक्तियों का हिस्सा क्रमशः 15 प्रतिशत और 3 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, एसजीएसवाई आबंटन का 15% विशेष परियोजनाओं के लिए अलग रखा जाता है जो स्वरोजगार के सृजन की विभिन्न विधियों से कार्यान्वित की जाती है तथा ग्रामीण गरीबों की आय अर्जन क्षमता बढ़ाती हैं। इसकी शुरुआत से लेकर दिसम्बर, 2010 तक एसजीएसवाई के अंतर्गत 40.04 लाख स्व-सहायता समूह तैयार किए गए हैं जिनमें महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या कुल संख्या की लगभग 68 प्रतिशत

झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिमी बंगाल	अखिल भारत
31,293	59,170	34,467	71,732	112,042	40,603	27,556	67,401	67,273	1,99,347	9,885	89,158	1,186,146
5.52	5.08	6.98	उन	उन	6.65	6.40	6.57	4.55	6.46	8.67	6.34	6.7
3.62	6.27	5.33	4.73	4.97	3.90	4.23	7.36	5.54	4.09	4.61	6.73	6.16
7.54	8.10	8.73	4.51	8.70	9.34	5.56	7.60	7.33	5.78	9.15	6.66	7.83
40.3	25	15	38.3	30.7	46.4	8.4	22.1	22.5	32.8	39.6	24.7	27.5
34.8	17.4	11.4	32.4	25.2	39.9	5.2	17.5	17.8	25.5	31.8	20.6	21.8
0.20	0.23	0.29	0.24	0.27	0.25	0.26	0.20	0.26	0.23	0.22	0.24	0.25
0.33	0.36	0.35	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.34	0.34	0.30	0.36	0.35
**	63.6	71.4	58.1	66	59.5	68.4	61.5	65.0	60.3	**	64.1	62.6
**	67.1	76.3	57.9	68.4	59.6	70.4	62.3	67.4	59.5	**	65.8	64.2
44.0	41.0	12.0	67.0	31.0	65.0	38.0	59.0	28.0	63.0	41.0	33.0	50.0
25.6	19.5	14.7	27.7	17.6	21.0	17.0	27.2	16.3	28.7	19.7	17.2	22.5
7.0	7.2	6.8	8.5	6.7	8.8	7.0	6.6	7.6	8.2	6.5	6.2	7.3
153.9	106.1	92.3	153.4	101.8	117.0	92.8	118.3	116.1	113.7	119.4	112.9	114.0
62.2	90.2	100.1	100	86.8	80.1	69.1	81.4	112.7	67.8	92.8	71.2	78.1
119.1	100	95.2	133.5	96.1	102.7	83.6	104.4	114.8	96.4	109.3	96.7	100.3
73	23	28	41	34	42	53	43	44	76	25	51	47
2.27	6.82	2.35	4.70	13.53	2.25	5.95	4.71	10.55	7.48	0.94	5.23	100
194	940	178	212	663	64	182	500	1215	648	94	168	8324
3.24	6.72	1.82	8.97	1.12	2.66	0.52	12.40	8.32	10.43	0.99	6.62	100
16.04	16.70	16.77	18.48	25.61	19.16	78.92	26.53	59.07	56.41	26.04	36.86	30.48
42.99	8.57	5.33	45.34	33.16	36.26	0.00	22.50	2.50	1.48	4.04	14.38	20.71
34.25	36.79	88.19	44.23	39.65	36.25	26.28	66.89	82.91	21.67	40.28	33.42	48.10

*** गुजरात की मुख्य सांख्यिकी में दिए गए त्वरित अनुमान 2009-10, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात सरकार।

है। इस अवधि में बैंक ऋण और सब्सिडी के साथ कुल लगभग 154.87 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई है। एसजीएसवाई के अंतर्गत कुल निवेश 37927 करोड़ रुपए है जिसमें 25743.29 करोड़ रुपए ऋण और 12183.58 करोड़ रुपए सब्सिडी शामिल है। एसजीएसवाई के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत नियमित मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे विशिष्ट संख्या में बीपीएल परिवारों की मदद करने के उद्देश्य से नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया

है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के परिव्यय से अब तक संस्वीकृत/अनुमोदित 116 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 9.00 लाख ग्रामीण बीपीएल लाभार्थियों को शामिल किया जाना है। लगभग 2.25 लाख युवाओं को पहले प्रशिक्षित किया जा चुका है/प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 1.75 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। ग्रामीण बीपीएल युवाओं को सूक्ष्म-उद्यम और मजदूरी रोजगार प्रारंभ करने के लिए सक्षम बनाने हेतु मूलभूत एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए देश के प्रत्येक

बॉक्स 12.5 : एमजीएनआरइजीएस: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहल

एमजीएनआरइजीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार है:

(क) पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाना:

- **सामाजिक लेखापरीक्षा:** राज्यों ने यह सूचित किया है कि 93 प्रतिशत कार्यक्रमों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गई है। लगभग 2.41 लाख सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एमजीएनआरइजीएस के वेब-साइट पर अपलोड की गई हैं जिसने 2009-10 में 45,428 लाख दस्तावेजों के सत्यापन की जानकारी दी है।
- प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा निगरानी की एक स्कीम शुरू की गई है जिसमें 61 प्रतिष्ठित नागरिकों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक नागरिक को एक जिला सौंपा गया है और वह एमजीएनआरइजीएस के कार्यान्वयन के संबंध में सीधी जानकारी प्रदान करेगा।
- शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक जिले में एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(ख) एमजीएनआरइजीएस का कारगर प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन:

- **श्रम बजट:** नरेगा की धारा 14(6) के तहत जिले के कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को अकुशल शारीरिक कार्य की पूर्वानुमानित मांग का विवरण देते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए दिसम्बर माह में श्रम बजट तैयार करने होते हैं। श्रम बजट की प्रक्रिया एवं सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और ये 2010-11 में लागू किए गए हैं। श्रम बजट के सिद्धांत एमजीएनआरइजीएस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु जिलों के लिए तार्किक आधार पर धनराशि का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।
- **राज्य रोजगार गारंटी कोष:** नरेगा की धारा 21(1) के तहत राज्यों को राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं राज्य कोष एमजीएनआरइजीएस के कार्यान्वयन के लिए धनराशि के प्रबंधन में राज्यों को अधिकाधिक लचीलापन देगा। ग्यारह राज्यों में अर्थात् राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में राज्य कोष स्थापित कर दिए गए हैं। एमजीएनआरइजीएस के लिए केन्द्रीय धनराशि संबंधित राज्यों के राज्य कोष खातों में सीधे जारी की जाती रही है।
- **प्रशासनिक सहायता व्यवस्था का सुदृढीकरण:** राज्यों द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपलब्ध बजट के 6 प्रतिशत के उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है। केन्द्र सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम रोजगार सेवक सहायक, प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक, प्रति ब्लॉक न्यूनतम एक कम्प्यूटर सहायक और प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्ण कालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की सिफरिश की है। राज्यों के साथ इस मुद्दे पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।
- **प्रायोगिक पहल:** वर्तमान कार्यक्रम कार्यान्वयन को जारी रखने और सतत् विकास के लिए एमजीएनआरइजीएस को सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राजस्थान में प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। इन पहलों में एमजीएनआरइजीएस कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण, मूलभूत साक्षरता, कम्प्यूटर एवं वित्तीय साक्षरता तथा व्यापार के अनुकूल विधि से मजदूरी के भुगतान में मदद करना शामिल है।
- **समनुरूपता:** एमजीएनआरइजीएस की अंतर क्षेत्रीय संबद्धता को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, आजीविका सुरक्षा में सुधार, राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल कार्यों के चयन में अधिकाधिक लचीलापन लाने में मदद करने और एमजीएनआरइजीएस के साथ कतिपय विकास कार्यक्रमों के साझा लक्ष्य समूहों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्कीमों और विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ समनुरूप दिशानिर्देश विकसित और वितरित किए हैं जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वन और पर्यावरण मंत्रालय का राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम, एवं अन्य स्कीमें, जल संसाधन मंत्रालय की स्कीमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रामीण विकास विभाग), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास विभाग) वाटर शेड विकास कार्यक्रम (भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय), कृषि और मात्स्यिकी मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की स्कीमें। समनुरूप प्रायोगिक परियोजनाएं भारत के 115 जिलों और 23 राज्यों में शुरू की गई हैं। इन पहलों पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तरीय समीक्षाएं और क्षेत्रीय दौरे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और स्वतंत्र एजेंसियां समनुरूप परियोजनाओं पर कड़ी नजर रख रही हैं।

जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी नई पहल शुरू की गई है। सरकार ने 215 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अनुमोदित किए हैं जिनमें से 149 के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान देश में संचालनरत 99 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 77000 ग्रामीण युवाओं (54000 बीपीएल युवाओं सहित) को प्रशिक्षण दिया गया था।

(iii) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

12.27 भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में प्रारंभ की गई इस एसजेएसआरवाई का अप्रैल 2009 से नवीकरण किया गया है।

यह स्कीम स्वरोजगार उद्यम की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगार और अल्परोजगारों के लिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करती है। नवीकृत स्कीम में निम्नलिखित 5 घटक शामिल हैं: (i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ii) शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (iii) शहरी गरीबों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और (v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क। वर्ष 2010-11 के लिए एसजेएसआरवाई के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रावधान 589.68 करोड़ रुपए है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2010 तक 427.91 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 31 दिसम्बर, 2010 तक कुल 6,80,325 लाभार्थियों को लाभ हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

12.28 कुल कार्य बल में अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्से के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की व्याप्ति के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करती रही है ताकि असंगठित क्षेत्र में कामगारों को न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और व्यापक विकास (बॉक्स 12.6) सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना और विकास

12.29 भारत सरकार ने अधिकाधिक ग्रामीण-शहरी एकीकरण तथा समाज के निर्धन एवं सुविधा वंचित वर्गों के विकास की समान पद्धति तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण और विकास में मदद के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण, पूर्ण सफाई अभियान और एनआरएचएम शामिल हैं।

भारत निर्माण

12.30 ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-06 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के छह घटक हैं अर्थात् ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेय जल,

ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

12.31 ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और 1000 की आबादी (पर्वतीय अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 500) वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 54,648 बस्तियों के लिए नई संपर्क सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए 1,46,184 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना होगा। नई संपर्क सड़कों के अलावा भारत निर्माण में 1,94,130 किलोमीटर विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/नवीकरण की परिकल्पना है। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत दिसम्बर, 2010 तक 38,575 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है तथा 14,995 बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़क परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक 28,963 किलोमीटर से अधिक बारहमासी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कुल 9677 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 3949 बस्तियों के लिए नए सड़क संपर्क प्रदान किए गए हैं।

बॉक्स 12.6: सरकार द्वारा किए गए कुछ सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई): 2 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई इस स्कीम के अंतर्गत देश में ग्रामीण भूमि रहित परिवारों के मुखिया को प्राकृतिक और दुर्घटना और आंशिक/स्थायी अक्षमता के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। जुलाई, 2010 तक इस स्कीम में 1.45 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई): यह योजना असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच सदस्यों का परिवार) को प्रतिवर्ष 30000 रुपये प्रति परिवार स्मार्ट कार्ड पर आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम ने 1 अप्रैल, 2008 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में यह प्रीमियम 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। यह स्कीम प्रवासी कामगारों के लिए कार्ड मूल्य को विभाजित करके स्मार्ट कार्ड पोर्टेबिलिटी प्रदान करती है। 31 जनवरी, 2011 तक 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इन 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने स्मार्ट कार्ड जारी करना प्रारंभ कर दिया है और 2.26 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008: यह अधिनियम 16 मई, 2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2009 भी तैयार कर ली गई है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की सिफारिश करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। अपने अधिदेश के भाग के तौर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने एक उपसमिति का गठन किया है जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम को असंगठित कामगारों पर लागू करने की संभावना तलाशेगी। तत्पश्चात् बोर्ड ने सिफारिश की कि सामाजिक सुरक्षा स्कीमों अर्थात् स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली आरएसबीवाई, मृत्यु एवं अक्षमता बीमा प्रदान करने वाली जनश्री बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने वाली इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम को भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों, एजीएनआरजीए कामगारों, आशा कामगारों, आंगनवाड़ी कामगारों और सहायक, पोर्टरों/कुलियों/गंगमैन और आकस्मिक एवं दैनिक कामगारों के लिए भी लागू किया जाए।

बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार: पारस्परिक आधार पर प्रवासी कामगारों और कंपनियों के हितों की सुरक्षा के लिए बेल्जियम, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क के साथ बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नोर्वे के साथ ऐसे ही करार के लिए वार्ता पूरी कर गई है। ये करार तैनाती के मामले में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट, अंशदान की अवधि के जोड़ तथा स्वदेश अथवा किसी तीसरे देश को पेंशन भेजने के मामले में छूट प्रदान करने में कामगारों की मदद करते हैं।

ग्रामीण पेय जल

12.32 गुणता प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति भारत निर्माण का एक घटक है। आर्सेनिक एवं फ्लोराइड तत्व से युक्त जल वाली बस्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इसके पश्चात् लौह, क्षार और नाइट्रेट तत्वों के जल वाले गांवों की बारी है। भारत निर्माण अवधि के दौरान पेय जल की आपूर्ति के लिए व्यय को 2005-06 के 4098 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2009-10 में 7989.72 करोड़ रुपए किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लिखित नीतिगत पहलों को लागू करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम नामक संशोधित कार्यक्रम के लिए वर्ष 2010-11 में 9000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जिसमें से अब तक 7103.56 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। भारत निर्माण कार्यक्रम के महत्व और वर्ष 2008-09 के अंत में इसके कार्यान्वयन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम का चरण-II सन् 2012 तक बढ़ा दिया गया है। भारत निर्माण चरण-II के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति यह दर्शाती है कि 2010-11 तक शामिल किए जाने के लिए 76,316 बस्तियों के भौतिक लक्ष्य के मुकाबले में 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार कुल 43,193 बस्तियों को इसमें शामिल किया जा चुका है (सारणी 12.11) अभी तक नहीं शामिल और गुणता-प्रभावित सभी बस्तियों जो 2010-11 के अंत तक शामिल नहीं हो सकती हैं, को 2011-12 के दौरान शामिल किए जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण सफाई: पूर्ण सफाई अभियान (टीएससी)

12.33 पूर्ण सफाई अभियान भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पूर्ण सफाई अभियान समुदाय निर्देशित और जन-केन्द्रित दृष्टिकोण है। यह सफाई सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार को महत्व देता है। यह बाल्यावस्था से ही लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए विद्यालय सफाई एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर बल देता है। पूर्ण सफाई अभियान के घटकों में

प्रारंभिक कार्य, सूचना, शिक्षा एवं संचार, व्यक्तिगत पारिवारिक शौच घर, सामुदायिक सफाई परिसर, विद्यालय सफाई एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आंगनवाड़ी शौचालय, ग्रामीण सैनेटरी मार्ट के रूप में वैकल्पिक डिलीवरी तंत्र और उत्पादन केन्द्र तथा प्रशासनिक प्रभार शामिल हैं। गांव में ठोस/तरल अपशिष्ट निपटान घटक सन् 2006 में पूर्ण सफाई अभियान परियोजना में शामिल किया गया था जिसमें प्रत्येक जिला परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक धन मुहैया कराया जाता है। देश के ग्रामीण जिलों में कुल 20,024 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से अब तक कुल 607 पूर्ण सफाई अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, जिनमें केन्द्र का हिस्सा 13,026 करोड़ रुपए है। पूर्ण सफाई अभियान के लिए वार्षिक बजट सहायता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 2010-11 में 1580 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि 2003-04 में यह 202 करोड़ रुपए था। संसाधनों के अधिकाधिक आबंटन के साथ-साथ पूर्ण सफाई अभियान के विस्तार से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण सफाई में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यह 2001 के 21.9 प्रतिशत से बढ़कर नवम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 67.86 प्रतिशत हो गया है।

12.34 सफाई को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रोत्साहन स्कीम प्रारंभ की गई है। उन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है जो शत-प्रतिशत खुले स्थान पर मलत्याग मुक्त वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार की अवधारणा की सामाजिक इंजीनियरी और समुदाय संघटन के विशेष उपाय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है और इससे सफाई जैसे एक कठिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत का आस-पास के गांवों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है और लोगों की सक्रिय भागीदारी से यह एक स्थायी आन्दोलन बन जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार से पूरे देश के पंचायत नेताओं में कल्पना शक्ति जागी है और उन्हें सफाई का चैम्पियन बना दिया है। राष्ट्रीय ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में कुल 22443 ग्राम पंचायतों, 165 माध्यमिक पंचायतों और 10 जिला पंचायतों को

सारणी 12.11 : 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार भारत निर्माण चरण-II के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम की स्थिति।

घटक	कुल ग्रामीण बस्तियां	1अप्रैल, 2009 को शेष	लक्ष्य (2009-10 और 2010-11)	भारत निर्माण चरण-II (2009-10 और 2010-11) (31 दिसम्बर, 2010 तक) 2010 को संचित उपलब्धि
नहीं शामिल बस्तियां		627	627	544
गुणता प्रभावित बस्तियां		1,79,999	75,689	43,193
जोड़	16,61,073	180,626	76,316	43,737

पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सिक्किम देश का पहला निर्मल राज्य बन गया है।

शहरी अवसंरचना, आवास एवं सफाई

12.35 भारत सरकार कुल मिलाकर पूरे देश में शहरी अवसंरचना, आवास एवं सफाई से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दे निर्धारित करने के अलावा, केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को संसाधन आबंटित कर रही है तथा समग्र रूप से देश में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से धन मुहैया करा रही है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

12.36 दिसम्बर, 2005 में प्रारंभ किया गया सात वर्षीय जेएनएनयूआरएम अवसंरचना, आवास विकास और क्षमता विकास के लिए शहरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चार में से इसके दो घटक-65 चुनिंदा शहरों के लिए शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं और अन्य शहरों और कस्बों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम-गरीबों के लिए आश्रय एवं मूलभूत सेवा जरूरतों के लिए हैं। जेएनएनयूआरएम शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए गरीबों के अनुकूल निम्नलिखित तीन अनिवार्य महत्वपूर्ण सुधार लागू करने पर भी बल देता है— (i) शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं हेतु स्थानीय निकायों के बजट में आंतरिक निर्धारण, (ii) सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियां दोनों) में कम से कम 20 से 25 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वाले समूहों के लिए निर्धारित करना, (iii) सात मूलभूत आवश्यकताओं/सेवाओं के प्रावधान के लिए 7 सूत्रीय चार्टर का कार्यान्वयन। शहरीकरण के लिए प्रथम राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर जेएनएनयूआरएम ने राज्यों में अनेक नवीन विचारों के सृजन को काफी बढ़ावा दिया है जिससे शहरी परिवर्तन की गति जो उन्होंने प्रारंभ की है, को कायम रखने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। 8 फरवरी, 2011 तक 1.5 मिलियन से अधिक आवास संस्वीकृत किए गए हैं और 20,130.79 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध केन्द्रीय हिस्से (2005-12 के लिए सात वर्षीय आबंटन का 89.6 प्रतिशत) के साथ 37,777.30 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय वाली 1456 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। 10,013.37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता जारी कर दी गई है जब कि सभी राज्य शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत शामिल हैं, छोटे राज्य गोवा और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

भागीदारी में सस्ते आवास (एएचआईपी)

12.37 सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम वर्ग के लिए 10 लाख मकानों के निर्माण के लिए 5000 करोड़ के परिव्यय से भागीदारी में सस्ते आवास स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम सभी के लिए सस्ते आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों/सरकार/परास्टेटल्स/यूएलबी/डिवलपर्स के बीच भागीदारी के लिए है।

राजीव आवास योजना

12.38 सरकार ने एक स्कीम, राजीव आवास योजना के माध्यम से स्लम मुक्त भारत की परिकल्पना की घोषणा की है। इस घोषणा के पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, वित्तीय एवं शहरी विशेषज्ञों और निजी उद्योग के साथ गहन परामर्श किया गया है ताकि दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें। विशेषज्ञ समिति द्वारा दिशानिर्देशों के मसौदे का गहन मूल्यांकन किया गया है। राजीव आवास योजना का स्लम मुक्त शहर योजना स्कीम नामक प्राथमिक चरण लागू कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत स्लम सर्वेक्षण, झुग्गी-झोंपड़ियों के नक्शे तैयार करने, स्लम सूचना प्रणाली विकसित करने, समुदाय को एकत्र करने तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले स्लम मुक्त शहर/राज्य योजनाएं तैयार करने आदि के लिए 60 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2010-11 के लिए राजीव आवास योजना के तैयारी चरण हेतु 1270 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया है।

कौशल विकास

12.39 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 में उल्लेख किया गया है, कौशल विकास के संबंध में संबंधित कार्यवाही के लिए तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है। इस तीन स्तरीय संरचना में (i) कौशल विकास के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी) और (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) शामिल हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद ने प्रचालन संबंधी मुख्य सिद्धान्त तैयार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों, सिविल सोसाइटी और समुदाय के नेताओं के बीच भागीदारी पर आधारित कौशल विकास के लिए सह-सृजित समाधान की आवश्यकता का समर्थन किया गया है। सबसे गरीब व्यक्ति सहित समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल को संग्रहणीय बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। राज्यों में उपलब्ध विद्यमान अवसंरचना के इष्टतम उपयोग तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए उसके उपयोग के मुद्दे पर भी बल दिया गया है। दिसम्बर, 2010 के अंत तक 28 राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों ने कौशल विकास मिशन

स्थापित कर लिए हैं। अगले कदम के तौर पर इन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कौशल अंतर का आकलन करना होगा और उन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार करनी होगी। निजी क्षेत्र के प्रयासों के सह-समन्वयन/स्टिमूलेशन के लिए कौशल विकास में गैर लाभप्रद सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में 31 जुलाई, 2008 को गठित एनएसडीसी को राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अंतर्गत सन् 2022 तक 150 मिलियन व्यक्तियों के कुशल कार्यबल के सृजन का लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रथम उपाय के तौर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु 21 उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर संबंधी व्यापक अध्ययन पूरा कर लिया गया है। कौशल विकास में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र में इसकी काफी रुचि पैदा हुई। निगम ने धनराशि के वितरण के लिए मजबूत शासन संरचना विकसित की है। एनएसडीसी द्वारा अब तक 22 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके फलस्वरूप 10 वर्ष की अवधि में 38.59 मिलियन कुशल कार्यबल तैयार किया जा सकेगा। 22 परियोजनाओं के लिए इक्विटी/ऋण/अनुदान के रूप में एनएसडीसी का योगदान 607.56 करोड़ रुपए है। इन 22 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं एनएसडीसी से 35.68 करोड़ रुपए के कुल अंशदान के साथ 2009-10 में अनुमोदित की गई थीं। इन्हें 10 वर्ष की अवधि में 1.018 मिलियन कुशल कार्य बल सृजित करने का आदेश दिया गया है।

भारतीय विशेष पहचान (यूआईडीएआई)

12.40 जनवरी, 2009 में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके यूआईडीएआई के गठन के पश्चात् काफी प्रगति हुई है। विभिन्न रजिस्ट्रारों के माध्यम से 10 करोड़ निवासियों के नामांकन और मार्च 2014 को समाप्त परियोजना के 5 वर्ष के चरण के लिए अन्य अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं की स्थापना हेतु जुलाई, 2010 में 3023.01 करोड़ रुपए के अनुमोदन से यूआईडीएआई जिसका अब आधार कार्यक्रम के रूप में उल्लेख किया गया है, का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। यह स्कीम औपचारिक तौर पर महाराष्ट्र के नंदूरवार जिले के थेम्बली गांव में 19 सितम्बर, 2010 को प्रारंभ की गई थी जब गांव के सभी निवासियों का नामांकन किया गया था और यह पहला आधार गांव था। सभी 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने यूआईडीएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की 23 बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय प्रवासी कामगार संयुक्त सुरक्षा संगठन के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

12.41 यूआईडीएआई, उनके माध्यम से नामांकन बढ़ाने के लिए तथा आधार नामांकन के दौरान निवासियों को बैंक खाते

प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ भागीदारी कर रहा है। नामांकन सांख्यिकी से पता लगता है कि लगभग 80% निवासियों ने नामांकन के दौरान बैंक खाते खोले जाने के लिए सहमति दी है। सीमांत आबादी के लिए आधार समर्थित बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार आधारित 'अपना आवासी' जाने जिससे आधार संख्या जारी की गई है उसे बैंकों के 'अपने ग्राहक को समझें' मानक के समकक्ष स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2010 में सरकार द्वारा आधार पत्र को बैंक खाते खोले जाने के लिए आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज घोषित किया गया है। यूआईडीएआई आवासी की आधार संख्या के साथ मनरेगा के भुगतान को जोड़ने तथा उसे अपने आधार समर्थित बैंक खाते से भुगतान प्राप्त करने के लिए भी कार्य कर रहा है। आधार की सर्विस डिलीवरी क्षमता को साकार करने का समय अब आ गया है। यह सुनिश्चित करने के कि कोई दोहरी अथवा जाली प्रति नहीं है, डाटाबेस को साफ करने में मदद करने के अलावा आधार बेहतर लक्ष्य और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी तथा डिलीवरी की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। आधार अधिप्रमाणन सेवाओं के प्रयोग से सेवाओं की डिलीवरी में बदलाव आने की उम्मीद है।

शिक्षा

12.42 भारत युवाओं का देश है। 1.1 अरब से अधिक आबादी में से 672 मिलियन आबादी 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में है जिसे सामान्यतः कार्य आयु-आबादी माना जाता है। अनुमान है कि अगले 30 वर्षों में भारत के निर्भरता अनुपात में भारी कमी आएगी जो भारत के लिए एक प्रमुख जन सांख्यिकी लाभ होगा। किन्तु यह लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा के माध्यम के जरिए युवाओं में कुशलता को बढ़ाया जाए। वर्ष 2001 में देश की 11% आबादी 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके बढ़कर 12% हो जाने की संभावना है। इस युवा आबादी को एक बहुमूल्य परिसंपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे यदि शिक्षा और कौशल प्रदान कर दिया जाए तो राष्ट्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में कारगर योगदान दे सकती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम)

12.43 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। यद्यपि, सामान्य सूचना के लिए आरटीई अधिनियम 27 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था, 1 अप्रैल, 2010 से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना 16 फरवरी, 2010 को जारी की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान मानकों की पहचान के

लिए एक समिति का गठन किया था जिन्हें आरटीई मानकों और उदाहरण के लिए छात्र-अध्यापक अनुपात और अध्यापक-क्लासरूम अनुपात को अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सर्व शिक्षा अधिकार मानकों को संशोधित किया गया है ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम, 2009 की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। मानकों में किए गए मुख्य परिवर्तन पड़ोस मानकों के अनुसार नए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने, शिक्षा गारंटी योजना के तहत केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की गई सभी वैकल्पिक स्कूली सुविधाओं का उन्नयन, संशोधित छात्र-अध्यापक अनुपात मानक, आयु के अनुपात में दाखिले में मदद के लिए स्कूल से बाहर रहे अथवा स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक साइकिल स्तर पर कक्षा 5 एवं 8 का विलय करने के लिए राज्यों की मदद करने, अनुदान तथा अध्यापक शिक्षण उपकरणों के प्रावधान, तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के लिए 1073 अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अनुमोदन से संबंधित हैं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा योजना

12.44 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों निम्न प्रकार हैं:

- **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए):** 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। एसएसए के उद्देश्यों में सन् 2005 तक अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों, वापस स्कूल आओ शिवरों में सभी बच्चों का नामांकन, सन् 2010 तक सभी बच्चों को उच्चतर प्राथमिक स्तर तक बनाए रखना, अवधारण और शिक्षण के साथ-साथ नामांकन में लिंग और सामाजिक वर्ग के अंतर को दूर करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक एवं उच्चतर स्तर पर बच्चों के शिक्षा स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितम्बर, 2010 तक प्राप्त उपलब्धियों में 309,727 नए विद्यालयों का खोला जाना, 254,935 विद्यालय भवनों का निर्माण 1,166,868 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण 190,961 पेयजल सुविधाएं, 347,857 शौचालयों का निर्माण, 8.70 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति तथा 11.13 लाख अध्यापकों की नियुक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 14.02 लाख अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। एक स्वतंत्र अध्ययन में कहा गया है कि स्कूल से

बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 2005 की 134.6 लाख से कम होकर 2009 में 81.5 लाख रह गई है।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका (केजीबीवी):** केजीबीवी स्कीम मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए है। यह स्कीम शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30 प्रतिशत से कम है और ऐसे चुनिन्दा शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। केजीबीवी स्कीम को 1 अप्रैल, 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया था। इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है और शेष 25 प्रतिशत सीटों के लिए बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह स्कीम 27 राज्यों में लागू की जा रही है। भारत सरकार ने 31 मार्च, 2010 तक 2573 केजीबीवी को संस्वीकृत प्रदान कर दी है तथा राज्यों में 2565 केजीबीवी के कार्यरत होने की सूचनाएं हैं। केजीबीवी में कुल 238,600 बालिकाओं का नामांकन किया गया था जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 27.14 और 28.67 था। अन्य पिछड़े वर्गों की बालिकाओं का बीपीएल बालिकाओं का हिस्सा क्रमशः 26.84 प्रतिशत और 9.19 प्रतिशत रहा जबकि अल्पसंख्यक बालिकाओं की संख्या 8.17 प्रतिशत थी।
- **प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल):** एनपीईजीईएल भारत सरकार की ऐसी बालिकाओं तक पहुंच पर केन्द्रित हस्तक्षेप है जहां पहुंचना सर्वाधिक कठिन है। यह सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सामान्य सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप से परे बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अधिकाधिक सघन समुदाय संघटन वाले प्रत्येक समूह में एक मॉडल विद्यालय की स्थापना और विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन पर निगरानी रखने का प्रावधान करता है। अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण, लिंग संवेदनशील शिक्षा सामग्री का विकास तथा एस्कॉर्ट, लेखन सामग्री, कार्य पुस्तकों और वर्दी जैसी आवश्यकता का प्रावधान इस कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हैं। यह स्कीम शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिलों के ऐसे ब्लॉकों में लागू की जा रही है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में शामिल नहीं हैं किन्तु

आबादी का न्यूनतम 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है तथा चुनिन्दा शहरी स्लम क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जा रहा है।

➤ **विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों/मक्ताब सहित ईजीसी/वैकल्पिक एवं आधुनिक शिक्षा केन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। फिलहाल पका हुआ दोपहर का भोजन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा घटक और 12 ग्राम प्रोटीन अंश तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा घटक और 20 ग्राम प्रोटीन अंश प्रदान करता है। एनआरएचएम के अनुरूप लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन ए जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की भी सिफारिश की जाती है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत बजट आबंटन 7359.15 करोड़ रुपए था जिसमें से कुल 6937.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2009-10 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11.04 करोड़ बच्चे (प्राथमिक स्तर पर 7.85 करोड़ और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 3.19 करोड़) लाभान्वित हुए हैं।

➤ **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए):** माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और गुणता में सुधार के उद्देश्य से मार्च, 2009 में आरएमएसए की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन 2009-10 से प्रारंभ हुआ। इसमें किसी बस्ती से उचित दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर माध्यमिक स्तर पर नामांकन की दर को 2005-06 के 52.26 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 वर्षों में 75 प्रतिशत करने की परिकल्पना है। इसके अन्य उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करके कि सभी माध्यमिक विद्यालय विहित मानकों का पालन करते हुए लिंग, सामाजिक-आर्थिक और अक्षमता अवरोधों को दूर करके सन् 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा सभी को प्रदान करने और सन् 2020 तक सभी बच्चों को स्कूल में रोकने का लक्ष्य प्राप्त करके माध्यमिक स्तर पर बेहतर शिक्षा प्रदान करना शामिल है। केन्द्र सरकार और अन्य माध्यमिक स्तर पर बेहतर शिक्षा प्रदान करना शामिल है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना व्यय का क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वहन करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्त पोषण की पद्धति 90:10 के अनुपात में है।

➤ **माध्यमिक स्तर पर अक्षम बच्चों के लिए व्यापक शिक्षा (आईईडीएसएस):** आईईडीएसएस स्कीम अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की पिछली स्कीम के स्थान पर 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। यह स्कीम सरकारी, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अक्षम छात्रों की व्यापक शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम का उद्देश्य विशेष जरूरतों के साथ उच्चतम स्तर तक बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में मदद करना है। यह स्कीम सहायक यंत्रों, सहायकों, परिवहन, हॉस्टल, शिक्षण सामग्री, बालिका के लिए प्रति वर्ष प्रति अक्षम बालिका 3000 रुपए प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों की निजी जरूरतों को पूरा करती है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस स्कीम के लिए 70.00 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया था। 2010-11 में 20000 सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3000 अध्यापकों की सहायता से 1.30 लाख से अधिक अक्षम बच्चों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह स्कीम प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन और उन्हें रखे जाने में प्राप्त सफलता के लिए प्राकृतिक परिणाम के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

➤ **साक्षर भारत:** महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सरकार की समग्र नीति के संदर्भ में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए साक्षरता एक पूर्व अपेक्षा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को महिला साक्षरता पर केन्द्रित करते हुए साक्षर भारत के रूप में पुनः तैयार किया गया है। सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम 15 और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों के लिए है किन्तु इसका मुख्य ध्यान महिलाओं पर है। इस स्कीम में अनेक नयी विशेषताएं शामिल की गई हैं और मूलभूत साक्षरता, पोस्ट साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखा जाना क्रमिक खण्ड होने के बजाए अब सांत्व्यक के रूप में होंगे। स्वैच्छिक जन अभियान दृष्टिकोण के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जन शिक्षा केन्द्र (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र) स्थापित किए जाएंगे। पिछले भागों में जिलों के बजाए राज्य सरकारों और समुदाय के साथ पंचायती राज्य संस्थाएं बहुमूल्य हित धारक होंगी। बजट सहायता को भी काफी बढ़ाया गया है। क्षेत्रीय सामाजिक एवं लिंग विषमताओं को न्यूनतम करने के लिए पहले चरण में अर्थात् 11वीं योजना अवधि के दौरान यह कार्यक्रम 365 जिलों तक सीमित रहेगा जहां 2001 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत अथवा इससे कम है।

बॉक्स 12.7 : एएसईआर, 2010 के मुख्य निष्कर्ष

- **नामांकन:** सन् 2010 में, ग्रामीण भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 96.5 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में नामांकित किए गए। इनमें से 71.1 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में और 24.3 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित किए गए।
- **स्कूल से बाहर बालिकाएं:** सन् 2010 में 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 5.9 प्रतिशत बालिकाएं अब भी स्कूल से बाहर हैं। यद्यपि, 2009 में 6.8 प्रतिशत के मुकाबले में इस प्रतिशत में कमी आई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिशत ऊंचा रहा है और 2009 के बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाता जबकि बिहार में सभी आयु वर्गों में स्कूल से बाहर रहने वाली बालिकाओं और बालकों के प्रतिशत में 2005 के बाद निरंतर गिरावट आई है।
- **निजी विद्यालयों में नामांकन में उछाल:** ग्रामीण भारत में निजी स्कूलों में नामांकन 2009 के 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 24.3 प्रतिशत हो गया है। 2005 के बाद इस संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है जब यह राष्ट्रीय स्तर पर 16.3 प्रतिशत था। वर्ष 2009 और 2010 के बीच दक्षिणी राज्यों में निजी स्कूलों में नामांकन में काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है जबकि पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा जैसे उत्तरी राज्यों में नामांकन कम रहा है।
- **विद्यालयों में 5 वर्ष के बच्चों के नामांकन की बढ़ती संख्या:** राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों में नामांकित 5 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत 2009 के 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 62.8 प्रतिशत हो गया है। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक में देखी गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम जैसे कई अन्य राज्यों में 2009 और 2010 के बीच 5 वर्ष के बच्चों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई।
- **राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राज्यों को छोड़कर पठन योग्यता में अधिक परिवर्तन नहीं:** विद्यालय में 5 वर्ष के बाद भी सभी बच्चों में से लगभग आधे बच्चे उस स्तर पर भी नहीं पहुंच पाते जहां विद्यालय में 2 वर्ष के पश्चात् उनसे उम्मीद की जाती है। कक्षा 5 में केवल 53.4 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 स्तर की पाठ्य पुस्तकें पढ़ पाते हैं। तथापि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में कक्षा 1 में ऐसे बच्चों के अनुपात में वृद्धि देखी गई जो अक्षरों की पहचान कर सकते थे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कक्षा 5 में ऐसे बच्चों के अनुपात में भी वृद्धि देखी गई जो कक्षा 2 के स्तर की पुस्तकें पढ़ सकते थे।
- **गणित की योग्यता में गिरावट का रुख:** औसतन गणित के सामान्य सवाल हल करने में बच्चों की योग्यता में कमी देखी गई है। कक्षा 1 के ऐसे बच्चों का अनुपात 2009 के 69.3 प्रतिशत से कम होकर 2010 में 65.8 प्रतिशत हो गया था जो 1 से 9 के अंक पहचान सकते थे। इसी प्रकार कक्षा 3 में ऐसे बच्चों का अनुपात इसी अवधि में 39 प्रतिशत से गिरकर 36.5 प्रतिशत हो गया जो 2 अंकों के घटाने के सवाल हल कर सकते थे। कक्षा 5 के बच्चे जो सामान्य भाग के सवाल हल कर सकते थे उनका प्रतिशत भी 2009 के 38 प्रतिशत से गिरकर 2010 में 35.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल पिछले कुछ वर्षों में मूलभूत गणित में पंजाब के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- **मिडिल स्कूल के बच्चे दिन-प्रतिदिन की गणना में कमजोर:** लगभग दो तिहाई बच्चे कैलेंडर पर आधारित सवालों के जवाब दे सकते थे और केवल आधे बच्चे क्षेत्रफल से संबंधित गणनाएं कर सकते थे। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों का हल बच्चों के लिए सर्वाधिक कठिन प्रतीत हुआ यद्यपि, ऐसे सवाल कक्षा 4 अथवा 5 की पाठ्य पुस्तकों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। केरल और बिहार में कक्षा 8 के बच्चों ने क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल किया।
- **निजी स्कूलों के बच्चों के ट्यूशन में गिरावट:** कक्षा 8 तक सभी क्लासों में निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों में ट्यूशन की घटनाओं में स्पष्ट गिरावट देखी गयी है। सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के इस अनुपात में परिवर्तन नहीं देखा गया है। यद्यपि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां निजी स्कूलों में नामांकन कम है, सरकारी स्कूलों में नामांकित कक्षा 5 के बच्चों में ट्यूशन कक्षा जाने वालों का अनुपात अधिक है।
- **आरटीई अनुपालन:** देखे गए 13000 विद्यालयों में से 60 प्रतिशत विद्यालयों ने आरटीई द्वारा विनिर्दिष्ट अवसंरचना मानकों को पूरा किया। तथापि इनमें से आधे से अधिक विद्यालयों को और अधिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी। एक तिहाई विद्यालयों को और अधिक क्लासरूमों की आवश्यकता होगी। दौरे के दिन उपस्थित सभी अध्यापकों के साथ प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-4/5) का अखिल भारतीय प्रतिशत पिछले तीन वर्षों में निरंतर गिरावट दिखाता है जो 2007 के 73.7 प्रतिशत से गिरकर 2009 में 69.2 प्रतिशत और 2010 में 63.4 प्रतिशत हो गया है। संपूर्ण ग्रामीण भारत के लिए 2007-2010 की अवधि में बच्चों की उपस्थिति कोई परिवर्तन नहीं दर्शाती। इस अवधि में उपस्थिति लगभग 73 प्रतिशत रही, किन्तु राज्यों में इसमें भारी अंतर है।

स्रोत: एएसईआर 2010, 14 जनवरी, 2010 की प्रेस विज्ञप्ति वेबसाइट-http://images2.asercentre.org/aserreports/ASER_2010_PRESS_RELEASE.pdf.

इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 33 जिले भी शामिल किए जाएंगे चाहे इन जिलों की विद्यमान साक्षरता दर कुछ भी हो।

12.45 प्रथम, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, 2005 से भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जा रहा ग्रामीण बच्चों का वार्षिक सर्वेक्षण है। सन् 2010 में जो इसका छठा वर्ष है, 522 जिलों, 14000 से अधिक गांवों, 300,000 परिवारों और लगभग 700,000 बच्चों पर यह सर्वेक्षण किया गया

था। पिछले 6 वर्षों में इस रिपोर्ट में नामांकन में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है (बॉक्स 12.7)।

उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

12.46 उच्चतर शिक्षा देश के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इक्विटी और उत्कृष्टता, राज्य विशिष्ट रणनीति अपनाए जाने, पाठ्यक्रम सुधार के जरिए उच्चतर

शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ाने, व्यवसायीकरण, नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुदूर शिक्षा के साथ-साथ पहुंच में सुधार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुख्य नीतिगत पहल हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सामान्य विकास के लिए कार्यक्रम; महिलाओं के लिए हॉस्टलों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान; छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां; यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपनी गरीबी के कारण कोई व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम; और उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में अध्यापन प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे कायम रखने के लिए हस्तक्षेप करना उच्चतर शिक्षा में अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें हैं। इक्विटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ विस्तार पर बल दिया गया है। उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 11वीं योजना के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं:

- नए उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना/मौजूदा संस्थानों के विस्तार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम: नए उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित/मौजूदा संस्थानों का विस्तार करने के लिए 1:2 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1:1) के अनुपात में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं योजना में एक नई स्कीम पर विचार किया गया है। स्कीम को ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। इस स्कीम के वास्तविक लक्ष्य हैं (i) 8 नए विश्वविद्यालय (विशेष श्रेणी राज्यों में 2 सहित), (ii) 83 नए महाविद्यालय, (iii) 10 नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तथा (iv) महाविद्यालयों का विस्तार जिससे 100,000 (एक लाख) विद्यार्थियों की अतिरिक्त दाखिला दिया जा सके। अनु.जा./अनु.ज.जा./शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की आबादी की प्रधानता वाली जगहों में संस्थानों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिससे निष्पक्षता सरोकारों का समाधान हो सके।
- 374 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की स्कीम: क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए सरकार ने प्रत्येक चिह्नित शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों जहां जीईआर राष्ट्रीय औसत से कम है, में 374 आदर्श डिग्री महाविद्यालयों को स्थापित करने की योजना बनाई है। इस स्कीम के अंतर्गत, केन्द्र सरकार प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2.67 करोड़ रुपए की सीमा के साथ पूंजीगत लागत की एक-तिहाई की मात्रा के बराबर सहायता प्रदान करेगी। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, 4.00 करोड़ रु. की सीमा के साथ केन्द्र का भाग पूंजीगत लागत के

50 प्रतिशत के बराबर होगा। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, अब तक 14 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और 18 प्रतीक्षा में हैं।

- नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (आईआईआईटी): भारतीय आईटी उद्योग की बढ़ती दक्षता चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने पीपीपी आधार पर बीस नए आईआईआईटी स्थापित करने का अनुमोदन किया है। आईआईआईटी प्रतिष्ठित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जहां प्रत्येक आईआईआईटी स्थापित की जाएगी उन राज्यों की अपनी-अपनी सरकारें और उद्योग प्रत्येक आईआईआईटी के लिए 128 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत के साथ भागीदार होंगे, जिस राशि को तीनों भागीदारों द्वारा क्रमानुसार 50:35:15 के अनुपात में अंशदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूंजीगत व्यय के लिए उद्योग की भागीदारी 7.5 प्रतिशत रखी गई है जबकि केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः 57.50 प्रतिशत और 35 प्रतिशत होगी। प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना के पहले चार वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार 10 करोड़ रु. तक के आवर्ती व्यय हेतु सहायता देगी, जिसकी वर्ष-वार आवश्यकता संस्थान के विस्तार और निधियों की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। परियोजना को वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक नौ वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पहले वर्ष में, राज्य सरकारों तथा निजी भागीदारों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए पांच-दस नए आईआईआईटी स्थापित किए जाएंगे।
- संस्थानों की स्थापना: सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड तथा पुडुचेरी में दस नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया है। भारत सरकार ने पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल तथा तिरुअनंतपुरम में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) स्थापित किए हैं। विज्ञान के सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर गुणता विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए आईआईएसईआर की संकल्पना की जाती है। सभी पांच नए आईआईएसईआर कार्यात्मक हो चुके हैं। ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, सात नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) देश में स्थापित किए गए हैं
- उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में सुधार उपाय: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विनियामक तथा शासन संरचना सहित शिक्षण सुधारों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाए हैं (बॉक्स 12.8)।

बॉक्स 12.8 : उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में सुधार की पहलें

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौती केवल उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुधारों को पूरा करने की नहीं है अपितु उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में भी सुधारों को पूरा करने की है। तीव्र विस्तार सुनिश्चित करते हुए तथा तेजी से विस्तार होते हुए इस क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए योग्य संकाय को पर्याप्त संख्या में आकर्षित करने तथा बनाए रखते हुए गुणता और उत्कृष्टता बरकरार रखने की चुनौतियां भी हैं। सरकार ने तदनुसार उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के विनियामक और शासन संरचना में सुधारों के लिए कई कदम उठाए हैं। इन सुधार प्रयासों में से कुछ निम्नवत् हैं:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) तथा उच्चतर शिक्षा में अन्य विनियामक निकायों के शैक्षणिक कार्यकलापों को सम्मिलित करने के लिए उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए मानकों और नीति निर्धारित करने के लिए एक स्वायत्त शीर्ष प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रस्ताव।
- तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालय में अनुचित क्रियाकलापों पर प्रतिबंध और सजा का प्रावधान।
- संस्थानों और कार्यक्रमों सहित उच्चतर शिक्षा में अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रस्ताव तथा इसके लिए संस्थागत ढांचा सृजित करने के लिए प्रस्ताव।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण अर्हता अनिवार्य की गई है जिसमें से छूट उनको प्रदान की गई है जिन्होंने विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसरण में पीएचडी डिग्री हासिल की हुई है।
- अनुसंधान परिषदों, मानित विश्वविद्यालयों जैसे सुपात्र संस्थानों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा।

स्वास्थ्य

12.47 चुनिंदा संकेतों के संदर्भों में स्वास्थ्य सुपुर्दगी सुविधाओं के निष्पादन का विश्लेषण संकेत करते हैं कि पिछले तीन दशकों के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है (सारणी 12.12)

12.48 तथापि, इस प्रगति के बावजूद, एच.डी.आर. 2010 के अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च, चिकित्सकों/अस्पताल में बिस्तरों (प्रति 10,000 व्यक्ति) की संख्या और आई.एम.आर. जैसे पैरामीटरों के संदर्भ में चीन और श्रीलंका जैसे देशों से तुलना करने पर भारत की स्थिति खराब है। इसके अतिरिक्त, देश के भीतर संपूर्ण क्षेत्रों/राज्यों, लिंग, ग्रामीण/शहरी इलाकों, आदि में सुधार काफी असमान रहा है। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की मिली-जुली, भूमिका है और एन.जी.ओ. क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है। विगत छह दशकों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तरों पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित की गई हैं। देश में स्तरीय सुव्यवस्थित लोक स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित की गई है, जिसमें संपूर्ण ग्रामीण एवं उप-शहरी क्षेत्रों में फैले हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एम.सी.) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) और उप-केंद्रों के साथ-साथ बहु प्रकार की विशेषताओं से युक्त अस्पताल व मेडिकल कालेज, जो प्रायः केवल शहरी क्षेत्रों में स्थापित है, शामिल हैं। तथापि, डाक्टरों और पैरामेडिकल प्रोफेशनलों की

सारणी 12.12 : भारत : चुनिंदा स्वास्थ्य संसूचक

क्र.सं.	प्राचल	1981	1991	मौजूदा स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.9	29.5	22.5 (2009*)
2.	अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	12.5	9.8	7.3 (2009*)
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर)(प्रति महिला)	4.5	3.6	2.6 (2008*)
4.	मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	लागू नहीं	लागू नहीं	254 (2004-06*)
5.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	110	80	50 (2009*)
	बालक			49
	बालिका			52
6.	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	15.2 (2008*)
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा	(1981-85)	(1989-93)	(2002-06)**
	कुल	55.4	59.4	63.5
	बालक	55.4	59.0	62.6
	बालिका	55.7	59.7	64.2

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

*प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस),

**संक्षिप्त जीवन तालिका 2002-06, आरजीआई इंडिया।

कमी रहित अपर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना के कारण विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी अत्यधिक-सीमित हो गई है। मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना में अन्तर को पूरा करने तथा सुलभ, वहनीय और साम्यिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कार्यक्रम और स्कीमें शुरू की हैं जो इस प्रकार हैं—

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.):** एन.आर.एच.एम. की शुरुआत 2005 में गरीब व्यक्तियों पर बल देते हुए ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ इलाकों में सुलभ, वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। यह 18 राज्यों, जिनमें 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल राज्य (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और राजस्थान) 8 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं, पर विशेष ध्यान देते हुए संपूर्ण देश में किया जा रहा है। एन.आर.एच.एम. का उद्देश्य पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य परियोजना (आर.सी.एच.-II) सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों तथा मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन की कमी, फिलेरिया, काला ज्वार, टी.बी.; कुष्ठ रोग तथा समेकित रोग निगरानी कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर लोक स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ करके अति महत्वपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराना है। उप-केंद्रों, पी.एच.सी. और सी.एम.सी. में अतिरिक्त जनशक्ति, उपयुक्त गुणता मानक, चिकित्सा की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाकर बेहतर समुदाय सहायता सहित बेहतर मानव संसाधन प्रबन्धन तथा स्थानीय योजना एवं कार्रवाई को सुसाध्य बनाने हेतु असंबद्ध धनराशि के जरिए प्राण फूँके जा रहे हैं। लचीली, विकेन्द्रीयकृत योजना वह धुरी है जिस पर यह मिशन रोटेट करता है। इसके अतिरिक्त, यह मिशन अच्छे स्वास्थ्य के मूलभूत निर्धारकों जैसे सफाई-व्यवस्था और सफाई, पोषण और स्वच्छ पेयजल की समस्या का समाधान करने संबंधी सेक्टर-वाइड एप्रोच के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, संबंधित सामाजिक-क्षेत्र के विभागों, अर्थात् आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी), महिला एवं बाल विभाग, सफाई-व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, के बीच अधिक समनुरूपता आवश्यक है। सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एन.आर.एच.एम. के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं—
- **आशा (ए.एस.एच.ए.)/संबद्ध कामगार:** अब तक 8.33 लाख अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य-सक्रिय प्रतिभागियों

का चयन किया गया है। इनमें से, 7.82 लाख प्रतिभागी कम से कम प्रथम मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा 5.7 लाख को उनके अपने-अपने गांवों में ड्रग किट्स उपलब्ध करा दी गई हैं।

- **मानव संसाधनों में वृद्धि:** एन.आर.एच.एम. के तहत 1572 विशेषज्ञ, 8284 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, 53,552 सहायक नर्स, दाइयां, 18,272 पराचिकित्सक सविदा आधार पर नियोजित किए गए हैं।
- **स्वास्थ्य सेवाओं को 24 घंटे चालू रखना:** कुल 16,338 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ए.पी.एच.सी.), पी.एच.सी., सी.एच.सी. और अन्य उप-जिला सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
- **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) लाभानुभोगी:** अब तक जे.एस.वाई के तहत 3.4 करोड़ से अधिक महिलाएं कवर की गई हैं।
- **रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.):** स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए असंबद्ध निधि से करीब 599 जिला अस्पताल (डी.एच.), 4210 सी.एच.सी., पी.एच.सी. अस्पतालों से अन्य 1136 और 17,097 पी.एच.सी. के पास अपनी रोगी कल्याण समितियां हैं।
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई-समितियां:** अब तक, 4.98 लाख गांवों (78 प्रतिशत) की अपनी ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समितियां हैं तथा प्रत्येक समिति को असंबद्ध अनुदान के रूप में 10,000 रु. प्रतिवर्ष मुहैया कराए गए हैं।
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच. एवं एन.डी.):** ग्रामीण इलाकों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 2006-07 में पैंतीस लाख वी.एच. एवं एन.डी., 2007-08 में 49 लाख, 2008-09 में 58 लाख, 2009-10 में 58.7 लाख, 2010-11 में अब तक 34.6 लाख दिवस मनाए गए हैं।
- **मोबाइल चिकित्सा-इकाइयां (एम.एम.यू.):** अब तक एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत करीब 381 एम.एम.यू. कार्यरत हैं।
- **आयुष:** 14,766 स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष सेवाएं भी जोड़ी गई हैं तथा 9578 आयुष डॉक्टर तथा 3911 आयुष पराचिकित्सक इस सिस्टम में शामिल किए गए हैं।
- **कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयां:** एन.आर.एच.एम. के तहत 627 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, 618 जिला लेखा प्रबन्धक, 539 जिला डाटा प्रबन्धक, 635 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयां (डी.पी.एम.यू.), 3529 ब्लॉक प्रबन्धक, 3261 लेखाकार और 3529 ब्लॉक पी.एम.यू. शामिल किए गए हैं।

सारणी 12.13 : स्वास्थ्य सुविधाएं	
सुविधाएं	सं.
उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी* (2009)	1,73,795
डिस्पेंसरी और अस्पताल (सभी)**	35,071
नर्सरी कार्मिक (2009)**	16,52,161
डॉक्टर (आधुनिक प्रणाली) (2009)**	7,57,377

स्रोत : *आर एच एस: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2009
**नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2009

- **प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना और सर्विस डिलीवरी में सुधार लाना:** योजना अवधि के दौरान उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित रूप से वृद्धि हुई (सारणी 12.13) तथापि, 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 20486 उप-केन्द्रों, 4477 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2337 सी एच. सी की अभी भी कमी है। इसके अतिरिक्त, लगभग 40 प्रतिशत मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं किराए के भवनों में अथवा पंचायतों/स्वैच्छिक सोसाइटी के निःशुल्क भवनों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त रखरखाव और अधिक अनुपस्थिति का होना सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी प्रणाली में प्रमुख समस्याएं हैं। एन आर एच एम का उद्देश्य सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ करना है।
- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई):** जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं की डिलीवरी के लिए मांग संवर्धन हेतु किया गया जहां इनका अभाव था और इसमें डिलीवरी तथा डिलीवरी-पश्चात सुविधाओं के साथ नकद सहायता को जोड़ा जाता है। इसका लक्ष्य, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि प्रसव प्रक्रिया कुशल परिचारिकाओं की देखभाल में सम्पन्न हो, एम एम आर दर को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना स्कीम में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेजी से प्रगति हुई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लाभार्थियों की संख्या 100.78 लाख तक पहुंच गई। बुनियादी अवसंरचना के सुदृढ़ होने, जिसमें जनशक्ति और प्रशिक्षण में सुधार भी शामिल है, के फलस्वरूप सभी प्रमुख राज्यों में संस्थागत सुविधाओं में सुधार हुआ है। आर सी एच II कार्यक्रम के मध्यावधि मूल्यांकन से भी जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की पुष्टि हुई है। जननी सुरक्षा योजना के अब प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में संचालन, पारदर्शिता और शिकायत निपटान तंत्र के मुद्दे शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को आरंभ करने का उद्देश्य देश में सस्ती/विश्वसनीय सहायक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना और गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसके प्रथम चरण में दो संघटक हैं, प्रथम संघटक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे छः संस्थानों की स्थापना करना है। मेडिकल कालेजों और हॉस्टलों के निर्माण से संबंधित सिविल कार्य सभी स्थलों पर आरंभ हो चुका है। ऋषिकेश और पटना में आवासीय परिसरों का निर्माण कार्य मार्च 2011 तक पूरा होने की उम्मीद है जबकि भोपाल और भुवनेश्वर में यह कार्य क्रमशः जून 2011 और अगस्त 2011 तक पूरा होने की संभावना है। जहां तक अस्पताल परिसरों के निर्माण कार्य का संबंध है, सभी संस्थानों के लिए ले-आउट कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का दूसरा संघटक मौजूदा 13 सरकारी मेडिकल कालेज संस्थानों का उन्नयन करना है। इस संघटक के अंतर्गत सिविल कार्य त्रिवेन्द्रम, सलेम, बंगलौर और लखनऊ के मेडिकल कालेजों में पूरा हो चुका है; यह कार्य हैदराबाद, कोलकाता, जम्मू, तिरुपति और मुंबई के मेडिकल कालेजों में पूरा होने वाला है और वाराणसी, श्रीनगर, अहमदाबाद तथा रांची के मेडिकल कालेजों में वर्ष 2011 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में एम्स जैसी दो अन्य संस्थाओं की स्थापना की जाएगी और अन्य छः मेडिकल कालेजों का उन्नयन कार्य किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण:** एचआईवी सेंटीनेल सर्विलेंस 2008-09 पर आधारित हाल ही के एच आई वी अनुमानों के अनुसार भारत में वर्ष 2009 में एच आई वी ग्रस्त लोगों की संख्या 23.9 लाख थी जिसमें प्रौढ़ एच आई वी मामले 0.31 प्रतिशत थे। इन अनुमानों से भारत में प्रौढ़ एच आई वी मामलों और एच आई वी के विस्तार (नए संक्रमण) में समग्र रूप से कमी देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ एच आई वी विस्तार वर्ष 2000 में 0.41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 0.31 प्रतिशत हो गया है। पिछले एक दशक में नए वार्षिक एच आई वी संक्रमणों में 50 प्रतिशत से अधिक कमी हुई है और ये वर्ष 2000 में 2.7 लाख से वर्ष 2009 में 1.2 लाख रह गए हैं। यह महामारी अधिक जोखिम वाले समूहों (एच आर जी) में अधिक केन्द्रित है जिसमें इंजैक्टिंग ड्रग यूजर (9.2 प्रतिशत), पुरुष द्वारा पुरुष के साथ यौन संबंध (7.3 प्रतिशत), महिला सैक्स वर्कर (4.9 प्रतिशत) और यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण क्लिनिक सहायक (2.5 प्रतिशत) शामिल हैं। निगरानी सर्वेक्षण के आधार पर 156 जिलों की पहचान श्रेणी 'क' जिलों के रूप में ही गई है जहां प्रसवपूर्व क्लिनिक सहायक (सामान्य जनसंख्या के लिए प्रयुक्त) के बीच एच आई वी का विस्तार 1 प्रतिशत से अधिक है; और 39 जिलों की पहचान श्रेणी 'ख' के जिलों के रूप में की गई है जहां अधिक जोखिम वाली जनसंख्या

के बीच इसका विस्तार 5 प्रतिशत से अधिक है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते समय इन जिलों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III (एन ए सी पी-III) का कार्यान्वयन वर्ष 2007-12 के दौरान कुल 11,585 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया जा रहा है।

- **अन्य:** अन्य कार्यक्रमों जैसे संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम को भी सुदृढ़ किया गया है और इन्हें समयबद्ध एवं अधिक केन्द्रीभूत ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आई डी एस पी) को आरंभ किए जाने का उद्देश्य रोगों की पहचान करना और रोग फैलने की शीघ्र चेतावनी पर कार्रवाई करना है। सभी राज्य और जिला मुख्यालयों में निगरानी यूनिटें स्थापित की गई हैं। आई डी एस पी की केन्द्रीय निगरानी यूनिट को इस समय देश के 85 प्रतिशत जिलों से साप्ताहिक आधार पर रोग निगरानी डाटा प्राप्त होता है। इनमें से 55 प्रतिशत जिलों द्वारा पोर्टल के माध्यम से भी डाटा भेजा जाता है जो डाटाएंटी, निरीक्षण रिपोर्ट, रोग फैलने की रिपोर्टिंग, डाटा विश्लेषण, प्रशिक्षण मॉड्यूलों और रोग निगरानी से संबंधित संसाधनों हेतु होता है। राज्यों द्वारा वर्ष 2008 में कुल 553 प्रकोपों (आउटब्रेक), वर्ष 2009 में 799 प्रकोपों और वर्ष 2010 (दिसम्बर 2010 तक) में 938 प्रकोपों की सूचना दी गई और उन पर कार्रवाई की गई।
- **आयुर्वेद, योग एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष):** राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में आयुष को शामिल करना, एन आर एच एम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसके लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 165 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास के लिए मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सितम्बर 2009 में एक नए संघटक अर्थात् राज्यों में “आयुष अस्पतालों का उन्नयन” को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2010 में राज्यों में “आयुष अस्पतालों का उन्नयन” नामक संघटक को आमुख अस्पतालों और औषधालयों के विकास संबंधी मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में एक नए संघटक के रूप में शामिल किया गया। सरकार ने आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी और सिद्ध को मेडिसन की आधिकारिक भारतीय प्रणाली के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पेड़-पौधा मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य निजी भूमि पर बाजार-जनित औषधीय पेड़-पौधों की खेती में सहायता करना है जिसमें मिशन पद्धति में नर्सरियों की स्थापना करने और गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की आपूर्ति के लिए आधार संपर्क और फसल तैयार होने के बाद प्रबंधन, वितरण, अवसंरचना,

प्रमाणन और फसल बीमा के लिए अग्रवर्ती संपर्क शामिल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 24,214 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर महत्वपूर्ण औषधीय पादपों की खेती के साथ-साथ इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए 46.41 करोड़ ₹ की वित्तीय सहायता जारी की गई थी और इसमें 26 राज्यों को शामिल किया गया है।

12.49 अपेक्षाकृत अच्छी शिक्षा, आय की स्थिति और शहरीकरण के फलस्वरूप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग काफी बढ़ने की संभावना है। जनसंख्या के एक बड़े भाग की स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में नियंत्रण रखने में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में निजी क्षेत्र निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, नैदानिकी एवं प्रौद्योगिकी, औषधियों के निर्माण, अस्पताल डिजाईन और निर्माण तथा सहायक सेवाओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। नेशनल कमिशन ऑन मैक्रोइकॉनॉमिक्स एण्ड हैल्थ (एनसीएमएच) 2005 के अनुसार देश में कुल अस्पतालों का लगभग 70 प्रतिशत और कुल बैड्स का 37 प्रतिशत निजी क्षेत्र में है।

12.50 भारतीय स्वास्थ्य-देखरेख क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास टेलीमेडिसन के बढ़ते उपयोग से संबंधित है। वर्ष 2001 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ऐसी प्रायोगिक परियोजना आरंभ की जो दूरस्थ क्षेत्र के 78 अस्पतालों को शहरों के अत्याधुनिक अस्पतालों से जोड़ती है। टेलीमेडिसन ने क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ऐसी संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं कि वे शहरों में अपने कार्यस्थलों से ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इससे भारत के रोगियों को यह संभावना भी मिली है कि वे विकसित देशों के चिकित्सकों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

12.51 लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभावी प्रावधान हेतु मानव संसाधन महत्वपूर्ण घटक है। चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में संशोधन करके इसे 1:1 से 1:2 किया है जिसके फलस्वरूप शैक्षिक वर्ष 2010-11 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संकायों में लगभग 4000 अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हुई हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने भूमि आवश्यकता, बैड्स की संख्या, बैड अधिभोगिता अधिकतम एडमिशन क्षमता और शिक्षक संकाय की आयु के संबंध में मानदण्डों को शिथिल किया है। इसके अतिरिक्त मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों को पोस्टग्रेजुएट सीटें बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय सहायता के

लिए चौतीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है। 2011-12 तक इस स्कीम के कार्यान्वयन से लगभग 4000 अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट सीटें उपलब्ध होंगी।

महिला और बाल विकास

12.52 सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कई स्कीमों आरंभ की हैं और बहुत सी नीतिगत पहलें की हैं। इनमें महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में लिंग समानता प्राप्त करने के लिए पहलें शामिल हैं। महिला और बाल विकास के लिए इन स्कीमों के क्षेत्र और विस्तार में वृद्धि हो रही है जैसाकि सरकार द्वारा विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत किए गए व्यय में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि से स्पष्ट होता है। मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों निम्न प्रकार से हैं:-

- **समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम:** यह स्कीम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संपूर्ण विकास और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए वर्ष 1975 में 33 परियोजनाओं और 4891 आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) के साथ आरंभ की गई। इसमें निरंतर विस्तार किया गया और अब यह व्यापक बन गई है और भारत सरकार ने संचयी रूप से 7076 परियोजनाओं तथा 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों का अनुमोदन किया है जिसमें 'मांग पर' 20,000 आंगनवाड़ी भी शामिल हैं। आईसीडीएस स्कीम को व्यापक बनाने के अतिरिक्त सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एनएनपी) सहित मौजूदा प्रयासों के वित्तीय मानदण्डों में संशोधन, अनुपूरक पोषण के पोषणात्मक और आहार मानदण्डों में संशोधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के नए विकास मानदण्डों को आरंभ करना। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एनएनपी सहित सभी संघटकों के लिए 90:10 के अनुपात में वर्ष 2009-10 से केन्द्र और राज्यों के बीच लागत-भागीदारी भी आरंभ की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए एनएनपी हेतु यह अनुपात 50:50 और सभी अन्य संघटकों के लिए 90:10 होगा। इसके साथ-साथ इस स्कीम के धीरे-धीरे विस्तार के साथ ही इसके बजट आबंटन में भी वृद्धि हुई है। आईसीडीएस के लिए वर्ष 2010-11 में वार्षिक योजना परिव्यय 8700 करोड़ रुपए था जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 दिसम्बर, 2010 तक 6988.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कुल 7073 स्वीकृत परियोजनाओं में से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 6719 परियोजनाएं प्रचालन में थीं। कुल 13.67 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 12.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र प्रचालन में थे।

- **किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम:** यह स्कीम 19 नवम्बर, 2010 को आरंभ की गई जिसका उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयु समूह की किशोर बालिकाओं को उनके पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और गृह-कौशल, जीवन कौशल और व्यवसाय कौशल जैसे विभिन्न कौशलों को बढ़ाकर इन्हें सशक्त बनाना है। आरंभ में इसका कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया जाएगा। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सभी इनपुट के लिए केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, पोषण प्रावधान के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सेवाओं की डिलीवरी में आंगनवाड़ी केन्द्र फोकल पॉइंट होंगे। शिक्षा, युवा, कार्य, श्रम और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को मिलाने (कनवर्ज) की भी परिकल्पना है ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 जिलों में लगभग 100 लाख किशोर बालिकाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है। इन 200 जिलों में किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) और किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) को आरजीएसईएजी में मिला दिया गया है। शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना पहले की तरह जारी रहेगी।
- **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम:** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं के 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को दिन में देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें बच्चों के लिए क्रेच और अन्य विकास सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य की देखरेख के संबंध में इनपुट जैसे प्रतिरक्षण (इम्यूनाइजेशन), पोलियो दवा, आधारभूत स्वास्थ्य मॉनीटरिंग और मनोरंजन। ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए माता-पिता की संयुक्त मासिक आय 12000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में इस स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) के माध्यम से किया जा रहा है। इस समय 22,599 क्रेच कार्यशील हैं और लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 5,64,975 है। इसका अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए मौजूदा वित्तीय मानदंडों में परिवर्तन सुझाने हेतु फरवरी, 2010 में एक समिति गठित की गई। संशोधित स्कीम के तहत, मौजूदा स्कीम में 42384 रुपए प्रतिवर्ष प्रति क्रेच की तुलना में 1.70 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति क्रेच का प्रस्ताव किया गया है। इससे बच्चों को अधिक पोषण और अच्छी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

- **समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस):** यह स्कीम वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई जिसका उद्देश्य देश में ऐसे बच्चों के व्यापक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है और कानून प्रतिकूल हैं। आईसीपीएस में किसी भी असुरक्षित बच्चे के बचाव और कानूनी सहायता तथा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,—संभावित रूप से असुरक्षित परिवार और जोखिम वाले परिवारों के बच्चे, सामाजिक रूप से बाहर रखे गए समूहों जैसे प्रवासी परिवारों के बच्चे, अत्यधिक गरीबी वाले परिवारों के बच्चे, भेदभाव से प्रभावित और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चे, एचआईवी। एड्स से प्रभावित बच्चे, अनाथ, ड्रग्स लेने वाले बच्चे, निर्धन बच्चे, भिखारी बच्चे, यौन रूप से शोषित बच्चे, कैदियों के बच्चे और सड़कों पर रहने वाले तथा कामकाजी बच्चे। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए 300 करोड़ रूपए की निधियों का आबंटन किया गया है। यह स्कीम केन्द्रीय रूप से प्रायोजित है और वर्ष 2009-10 से इसका कार्यान्वयन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। चूंकि यह स्कीम लागत-भागीदारी आधार पर है, राज्यों के लिए अपेक्षित है कि वे इसके कार्यान्वयन के आधार पर निधियां उपलब्ध कराएं तथा 33 राज्यों ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 2010-11 के दौरान, 11 फरवरी, 2011 तक इस स्कीम के अंतर्गत 82.37 करोड़ रु. जारी किए गए। अन्य तरह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रकट की है वे वित्तीय प्रस्तावों सहित योजनाओं की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहायता (एसटीईपी) स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को, उनकी उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए, 10 पारंपरिक क्षेत्रों में उन्हें अद्यतन कौशल और नई जानकारी उपलब्ध कराना है। इसका कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, कोऑपरेटिव, परिसंघों और ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है जो कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं। इस कार्यक्रम के विस्तार को बढ़ाने और कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग को आगे सुदृढ़ करने के लिए इस स्कीम के मानदंडों और पैरामीटरों को नवम्बर 2009 में संशोधित किया गया है। इन मानदंडों के प्रमुख परिवर्तनों का संबंध, शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या, परियोजना की कालावधि, और प्रति व्यक्ति लागत से है और अब इस स्कीम में राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों को लिए जाने का प्रावधान है। अब प्रत्येक परियोजना में लाभार्थियों की संख्या 200 से 10,000 लाभार्थी के बीच

हो सकती है और पांच वर्षों की अवधि तक निधियों की अधिकतम सीमा 16,000 रूपए तक हो सकती है। वर्ष 2010-11 के दौरान, दिनांक 30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार कुल 91 एसटीईपी परियोजनाएं चल रही थीं और अन्य 196 परियोजनाएं विचारार्थ विभिन्न चरणों में थीं, वित्त वर्ष 2010-11 में 25 करोड़ रूपए की राशि का आबंटन किया गया ताकि 35,000 लाभार्थियों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

- **अन्य स्कीमों:** महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कुछ अन्य स्कीमों में शामिल हैं: (i) धनलक्ष्मी, जो बालिकाओं के लिए सशर्त कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसे मार्च 2008 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य परिवारों को बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना है। इस स्कीम में बालिका के परिवार को कुछ विशिष्ट शर्तों, जो जन्म और पंजीकरण, इम्यूनाईजेशन और कक्षा VIII तक स्कूल में नामांकन करने और पढ़ने तक से संबंधित हैं, को पूरा किए जाने पर कैश ट्रांसफर का प्रावधान है। इस स्कीम का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर सात राज्यों के 11 ब्लॉकों में किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के लिए 5 करोड़ रूपए की संपूर्ण अनुमोदित परिव्यय राशि जारी कर दी गई जिससे 42,077 बालिकाओं को लाभ मिला। वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 30 सितम्बर 2010 तक 10,384 परिवारों को सहायता दी गई। (ii) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के समय कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम, जिसमें कामकाजी बच्चों को, शिक्षा की मुख्य धारा में लाने/पुनः शामिल करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि का प्रावधान करना। इस स्कीम के अंतर्गत अभी प्रत्येक 100 बच्चों के लिए 120 परियोजनाएं हैं जिनका निधियन किया जा रहा है (iii) सिविल अशांत क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण के लिए बाल बंधु स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि से अनुदान स्वीकृत किया गया है। बेघर महिलाओं और लड़कियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को अस्थायी आवास, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वघर स्कीम। (v) स्वघर स्कीम के उद्देश्यों/लक्ष्य ग्रुपों वाली लघु अवधि आवास गृह की स्कीम जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है (vi) उज्ज्वल, अवैध-व्यापार को रोकने के लिए एक व्यापक स्कीम जिसमें पांच विशिष्ट संघटक शामिल हैं—नियंत्रण, बचाव, पुनर्वास, पुनः समेकन और पीड़ितों को उनके आवास स्थानों पर भेजना, यह स्कीम दिसम्बर, 2007 को आरंभ की गई। इस स्कीम के

अंतर्गत 16 राज्यों में 73 पुनर्वास घरों सहित 134 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **लिंग (जेंडर) बजटिंग स्कीम:** इसे ग्यारहवीं योजना में शामिल किया गया है। वर्तमान में, 56 मंत्रालयों/विभागों ने लिंग बजट प्रकोष्ठों की स्थापना की है और कई मंत्रालयों/विभागों ने केन्द्रीय बजट के लिंग बजट विवरण में महिलाओं के लिए आबंटन दिखाया है।
- **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू):** इसकी स्थापना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई है। इस मिशन का लक्ष्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा साथ ही राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों के मेल से इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसके साथ-साथ यह मिशन मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिंग बजटन और साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और समीक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके):** इसे वर्ष 1993 में 31 करोड़ रुपए की संचित निधि के साथ सृजित किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने सृजन के बाद स्वयं को देश की एक प्रतिष्ठित माइक्रो-क्रेडिट एजेंसी के रूप में स्थापित किया है जिसमें जीविका से संबंधित कार्यकलापों के लिए क्रेडिट के प्रावधान के माध्यम से गरीब महिलाओं और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष में अर्द्ध-अनौपचारिक ढंग से माइक्रो-क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है और मध्यवर्ती माइक्रो-क्रेडिट संगठनों (आईएमओ) को ऋण दिया जाता है। (उदाहरण के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन, महिला विकास निगम, महिला सहकारी समितियां और उपयुक्त सरकारी/स्थानीय निकाय)। इसके बाद आईएमओ द्वारा स्व:सहायता गुप्तों (एसएचजी) को ऋण दिए जाते हैं और फिर जो यह ऋण अलग-अलग सदस्यों को उस दर पर देते हैं जो आरएमके द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती है अर्थात् कम होते हुए शेष पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण और विकास

12.53 समेकित विकास को प्राप्त करने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों और समाज के उपेक्षित वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा शैक्षिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अनेक स्कीमों और कार्यक्रम राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। अधिकाधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ सेवाओं की कारगर डिलीवरी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति की भी

तलाश की जा रही है।

अनुसूचित जाति (एससी)

12.54 अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालय से उच्चतर शिक्षा स्तर तक अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक स्कीमों लागू की जा रही हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान ऐसे छात्रों के लिए जिनके माता-पिता गंदे पेशे में लगे हैं, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत वास्तविक लक्ष्य 8 लाभार्थी/छात्र था। वर्ष 2010-11 के लिए 80 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में 31 दिसम्बर, 2010 तक अनुमानित 6.30 लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 51.26 करोड़ रुपए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति स्कीम 01 जुलाई, 2010 से संशोधित कर दी गई है। ताकि (i) पात्रता के लिए वार्षिक पैतृक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा सके, (ii) पाठ्यक्रमों के समूह को युक्तिसंगत बनाया जा सके, और (iii) रख-रखाव और अन्य भत्तों में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। इस स्कीम में संशोधन के फलस्वरूप 9 राज्यों जिन्होंने दिसम्बर, 2010 तक पात्रता मापदंड पूरे कर लिए थे, को 378 करोड़ रुपए की तदर्थ केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2010-11 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 40.24 लाख होने की संभावना है। एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलाशिप स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या 01 अप्रैल, 2010 से 1333 से बढ़कर 2000 कर दी गई है और 2000 नई छात्रवृत्तियों और 5332 नवीकरण के लिए 107 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन में से दिसम्बर, 2010 तक 113 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। चयन वर्ष 2011 के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों के तहत विनिर्दिष्ट विषयों को संशोधित किया गया है और विषयों अर्थात् मेडिसिन, विशुद्ध विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि विज्ञान और प्रबंधन को विदेशों में स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों और पीएचडी/इसके पश्चात् डॉक्ट्रल पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं। प्रतिवर्ष 30 पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 6 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक 1.92 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इससे पहले अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम संशोधित की गई थी और 01 अप्रैल, 2008 से इसका नामकरण बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किया गया था। इस संशोधन के भाग के तौर पर लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई। वर्ष 2010-11 के दौरान लड़कियों के लिए 49 होस्टल और लड़कों के लिए 59 होस्टलों के निर्माण का लक्ष्य है तथा दिसम्बर, 2010 तक 11.74 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जबकि 12 होस्टलों के निर्माण के लिए 121

करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। अनुसूचित जाति उप योजना, अनुसूचित जाति की आर्थिक उन्नति के लिए एक प्रमुख स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान 6 लाख लाभार्थियों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। 600 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 518.69 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 31 दिसम्बर, 2010 तक 33,659 लाभार्थियों को 121 करोड़ रुपए के रियायती ऋण दिए हैं।

12.55 अनुसूचित जाति के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम, डिग्री/पोस्ट डिग्री स्तर तक अनुसूचित जाति के छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जो अधिसूचित संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 25 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 1036 छात्रों की सहायता के लिए दिसम्बर, 2010 तक 9.64 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थाओं की सूची में 2 नई आईआईटी (इंदौर और मंडी) तथा 3 नए आईआईएम (रांची, रायपुर और रोहतक) शामिल किए गए हैं तथा चालू वित्त वर्ष से प्रति संस्थान प्रतिवर्ष 12 छात्रवृत्तियां शामिल की गई हैं।

अनुसूचित जनजाति

12.56 अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए वार्षिक योजना 2010-11 में 3206.50 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर 960.50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिसमें वन ग्रामों के विकास के लिए 60.50 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत अनुदान है जो परिवारोन्मुख आय अर्जन स्कीम, आकस्मिक अवसंरचना के निर्माण, एसएचजी को वित्तीय सहायता प्रदान करने, समुदाय आधारित क्रियाकलापों और वन ग्रामों के विकास के लिए अपनी आदिवासी उप योजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के तौर पर राज्यों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2010-11 दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत परिव्यय 1046.00 करोड़ है। यह धनराशि अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा उन्हें बाकी राज्यों के समकक्ष लाने के लिए प्रशासन में सुधार तथा ऐसे विशेष कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रदान की जाती है जो अन्यथा योजना कार्यक्रम में शामिल नहीं है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रों जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 1.45 लाख रुपए से कम अथवा इसके बराबर है, को मान्यताप्राप्त संस्थाओं में व्यावसायिक और स्नातक एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों सहित मैट्रिक लेवल से ऊंची शिक्षा के लिए 100

प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम, 125 अभिनिर्धारित संस्थाओं में से किसी एक संस्था में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के 625 छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी छात्र की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के अंतर्गत मास्टर और पीएचडी स्तर पर विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के 15 पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

12.57 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण जारी रहा। आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों हेतु अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों/उद्यमियों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण और लघु-उधारी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास तथा अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम उनके फुटकर विपणन के कार्य में लगा है। 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्यों से एकत्रित सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार स्वीकृति) अधिनियम के तहत 30,31,624 से अधिक दावे दायर किए गए हैं तथा 11,06,541 से अधिक स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। लगभग 32,000 स्वामित्व दिए जाने के लिए तैयार हैं। सामान्य महिला आबादी और आदिवासी महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर में अंतर को पूरा करने के लिए निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के लिए एक स्कीम लागू की जा रही है।

अल्पसंख्यक

12.58 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत सरकार द्वारा 5 समुदायों—मुसलमान, इसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी—को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय कुल आबादी के 18.42 प्रतिशत हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजना परिव्यय को वर्ष 2009-10 के 1740 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 2600 करोड़ रुपए कर दिया गया। 3 छात्रवृत्ति स्कीम अर्थात् प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट-सह-साधन आधारित स्कीम विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए लागू की जा रही हैं और इनके लिए कुल प्रावधान को वर्ष 2009-10 के 450 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 850 करोड़ रुपए कर दिया गया। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में 'विकास अभाव' विशेषतः शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सफाई, आवास और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2008-09 में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए

परिव्यय को वर्ष 2009-10 के 990 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 1400 करोड़ रुपए कर दिया गया। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में चुनिंदा विकास संकेतों के सुधार के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में गति आई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक स्कीमों के कार्यान्वयन के अपने कार्यों के विस्तार के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का मूल कोष 2005-06 के 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 550 करोड़ रुपए कर दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों में स्वरोजगार और अन्य आर्थिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ऋण और लघु वित्त कार्यों के विस्तार हेतु 2006-07 के 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की सरकार द्वारा 6 माह में एक बार समीक्षा की जा रही है तथा अधिक स्कीमों में शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है तथा राज्य विधानसभाओं और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करके इसके निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया गया है। दो स्कीमों अर्थात् (i) वर्ष 2010-11 में 30 करोड़ रुपए के आबंटन से मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और (ii) 2010-11 में 13 करोड़ रु. के आबंटन से 'राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण' का कार्य 2009-10 से चल रहा है। 'अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास' की एक अन्य स्कीम जो 2009-10 में प्रारंभ की गई थी, 2010-11 के लिए 15 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ कार्यान्वित की जा रही है। इन स्कीमों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं तथा वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण इस दिशा में एक कदम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2010 लोक सभा द्वारा 07 मई 2010 को पारित किया गया था। 18 मई, 2010 को यह विधेयक राज्य सभा को भेज दिया गया था। राज्य सभा ने इस विधेयक की जांच के लिए इस मामले को 31 अगस्त 2010 को चयन समिति को भेज दिया था।

अन्य पिछड़े वर्ग

12.59 सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के 14 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2010-11 के दौरान 50 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 38.17 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत

अन्य पिछड़े वर्गों के 15 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 350 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 238.78 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अपनी उच्चतर शिक्षा को जारी रखने में अन्य पिछड़े वर्गों के मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को होस्टल सुविधा प्रदान करने के लिए 5000 अतिरिक्त होस्टल सीटों के लिए 45 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक 7.83 करोड़ रुपए जारी किए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने 31 दिसम्बर, 2010 तक 80,660 लाभार्थियों को 106 करोड़ रुपए के रियायती ऋण दिए हैं।

12.60 18 अगस्त, 2010 की राजपत्र अधिसूचना के तहत पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची संशोधित की गई है:

- छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों जिनका गठन सन् 2000 में किया गया है, के लिए कोई सूची अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। इन दोनों राज्यों के लिए सूचियां पहली बार अधिसूचित की गई हैं जिनमें क्रमशः 64 और 119 प्रविष्टियां शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश (2 प्रविष्टियां) और दमन एवं द्वीव (24 प्रविष्टियां) की विद्यमान सूचियों में 26 नई प्रविष्टियां शामिल की गई हैं, और
- 4 राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) और एक संघ राज्य क्षेत्र (दमन और द्वीव) से संबंधित 26 विद्यमान प्रविष्टियों में संशोधन/सुधार।

अशक्त व्यक्ति

12.61 अशक्तता के विभिन्न वर्गों से संबंधित राष्ट्रीय और शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। ये संस्थाएं उन्हें आवश्यक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न वर्गों के कार्मिकों हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम चलाते हैं। सहायता एवं उपकरण की खरीद एवं फिटिंग के लिए अशक्त व्यक्तियों हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत लगभग 2 लाख अशक्त व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सहायता यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 90 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को 27.71 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2 लाख अशक्त व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव है। दीनदयाल अशक्त पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत बधिर, अंधे और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालय तथा विभिन्न अशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए दिमागी रूप से कमजोर और मस्तिष्क पक्षाघात के क्षेत्र में जनशक्ति के विकास के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चलाए जाने हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान 90 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक स्वैच्छिक संगठनों

को 37.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लक्षित लाभार्थियों की संख्या 76,000 है। वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने 31 दिसम्बर, 2010 तक 4,511 लाभार्थियों को 19.86 करोड़ रुपए के रियायती ऋण दिए हैं।

12.62 अशक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन स्कीम 01 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार, 01 अप्रैल, 2008 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त और 25 हजार रुपए तक मासिक परिलब्धियां पाने वाले प्रत्येक अशक्त कर्मचारी को पहले तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रोत्साहन के रूप में वहन करेगी।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र

12.63 वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और सचल चिकित्सा इकाईयों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है। यह स्कीम 01 अप्रैल, 2008 से संशोधित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाने के अलावा अनेक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के योग्य बनाया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान 30 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक 10.18 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 0.45 लाख लाभार्थियों को सहायता देने का लक्ष्य है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 माता-पिता की जरूरत आधारित देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण उपाय सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अब तक 22 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

12.64 व्यसनी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्स्थापना केन्द्र, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य परियोजना चलाने

के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान 31 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2010 तक 13.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम से 1.2 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा। सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए इस क्षेत्र में सेवाओं की डिलीवरी में लगे कार्मिकों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान 7.50 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के लिए दिसम्बर, 2010 तक 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

12.65 पर्यावरण के प्रति सोच-विचार के बगैर आर्थिक विकास के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं और इससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों का जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण के ऐसे अवक्रमण की समाज को कीमत चुकानी पड़ती है तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय शामिल करते हुए आर्थिक योजना में इसका स्पष्ट ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरह सतत विकास की चुनौती के लिए पर्यावरण की चिंताओं के साथ-साथ देश की आर्थिक विकास की जरूरतों का एकीकरण आवश्यक है। भारत ने पर्यावरण प्रबंधन में पिछले कुछ वर्षों में सतत विकास की इन चिंताओं को समझा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 ने हमारे सभी विकास क्रियाकलापों में पर्यावरण की चिंताओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। यह रेखांकित करती है कि सभी की आजीविका की सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण का सर्वाधिक सुरक्षित आधार यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष संसाधन पर आश्रित व्यक्ति संसाधनों के अवक्रमण के बजाए संरक्षण से बेहतर आजीविका प्राप्त करे। भारत सरकार ने अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से पारिस्थितिकी चिंताओं को

बाक्स 12.9 : भारत के विशिष्ट संदर्भ में सतत विकास प्राप्त करने के लिए पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण संबंधी हमारे मानक विकास प्रक्रिया के लिए निर्देशित सरकारी नीतियों के माध्यम से ऐसे निर्धारित किए जाते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक हों और जनता की समृद्धि में सहायक हों। हमारी पर्यावरण संबंधी नीतियों और कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वनस्पति, जीव-जन्तुओं, वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण;
- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण;
- वानिकीकरण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना;
- पर्यावरण सुरक्षा।

एक देश के रूप में भारत जैव-विविधता के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन, अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन मात्रा में कमी लाने और सतत खपत और उत्पादन पद्धति अपनाने में अग्रणी रहा है। भारत विशेष रूप से एक ऐसे विकास पथ पर चल रहा है जिसमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक जीवनतंत्रों और संसाधनों और अमूल्य प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित विरासत जो जीवनयापन, आजीविकाओं, आर्थिक वृद्धि, तथा मानव कल्याण की व्यापक संकल्पना के लिए आवश्यक है, को सुरक्षित करने और उनका संरक्षण करने के लिए समुचित ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, पर्यावरणीय संसाधनों तक न्यायोचित पहुंच तथा समाज के सभी वर्गों के लिए गुणता सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है, विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्धन समुदाय जो अपने जीवनयापन के लिए पर्यावरणीय संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं उनकी इन संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाए।

विकास प्रक्रिया में समाहित किया है ताकि पर्यावरण को अधिक क्षति पहुंचाए बिना आर्थिक विकास किया जा सके। भारत द्वारा अपनाई गई दृढ़ विकास कार्यसूची में अवसंरचना परियोजना के लिए कठोर पर्यावरण रक्षोपाय, पर्यावरण संबंधी शासन व्यवस्था का सुदृढीकरण, विनियामक संस्थाओं का पुनर्जीवन, नदियों के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना तथा वायु एवं जल की गुणवत्ता में नियमित आधार पर सुधार के प्रयास शामिल हैं (बाक्स 12.9)

हाल ही में की गई कुछ पहलें

12.66 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सिंचित क्षेत्र (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2010 को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिंचित क्षेत्रों का और अधिक अवक्रमण न हो। नियमावली उन क्रियाकलापों का विशेष उल्लेख करती है जो सिंचित क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण, निर्माण-कार्य, असंसाधित अपशिष्ट का ढेर लगाना तथा भूमि-सुधार और सिंचित क्षेत्रों में इन क्रिया-कलापों का निषेध करती है। अन्य क्रियाकलाप जैसे कि फसल काटना और तलकषण सिंचित क्षेत्रों में किए जा सकते हैं परन्तु केवल संबंधित प्राधिकरणों की पूर्वानुमति से। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्रीय स्वच्छ अधिकरण विधेयक 2009 का संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना। इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने की प्रक्रिया अभी जारी है। विधेयक का उद्देश्य समूचे देश में विशेष पर्यावरणीय न्यायालयों को स्थापित करना है। यह पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय देने तथा सिविल शास्तियों को लगाने के लिए न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर बने स्वच्छ अधिकरणों को स्थापित करने की परिकल्पना करता है। चूंकि हमारा तटीय पारिस्थितिक जीवनतंत्र हमारी जैव-विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सुनामियों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा करोड़ों परिवारों के जीवनयापन का एक स्रोत है, 15 सितम्बर, 2010 को तटीय क्षेत्र विनियमन की मसौदा अधिसूचना इस दिशा में एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इन महत्वपूर्ण जीवनतंत्रों की सुरक्षा के लिए यह बहुत अहम होगा। भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ऋण सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 1156 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व बैंक 897 करोड़ रुपए की राशि (77.7 प्रतिशत), भारत सरकार 177 करोड़ रुपए (15.4 प्रतिशत) तथा राज्य 80 करोड़ रुपए (6.9 प्रतिशत) का अंशदान करेंगे। यह परियोजना पांच वर्षों की अवधि के लिए है और अनुमान है कि इससे 3.56 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा 6.30 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। भारत इस बात पर हमेशा कायम रहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ-साथ, इसने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों जिसमें औद्योगिक, आवासीय तथा वाणिज्यिक उपयोग में ऊर्जा दक्षता, सौर ऊर्जा तथा परियोजनाओं, जो ईंधन दक्षता परिवहन अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों तथा

दक्षतापूर्ण जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल प्रणालियों का निर्माण करें, को बढ़ावा देने पर लक्षित क्रियाकलापों को शामिल किया है। भारत के पास ऐसे कार्यक्रम हैं जो जलवायु-प्रतिस्कन्दी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर लक्षित हैं विशेषकर किसानों, मत्स्यपालन समुदायों तथा अन्य संवेदनशील समुदायों की सहायता के लिए है ताकि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उनके जीवनयापन को बचाया जा सके।

जलवायु परिवर्तन

12.67 वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के रूप में, जलवायु परिवर्तन घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर गहन राजनीतिक ध्यान खींच रहा है। 'जलवायु परिवर्तन' से आशय है कि जलवायु का परिवर्तन जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारण मानव क्रियाकलाप हैं जो वैश्विक वातावरण के संघटन में बदलाव करते हैं और जो तुलनात्मक समय अवधि के दौरान देखी गई प्राकृतिक जलवायु अस्थिरता के अलावा है। जीवाश्म ईंधन जलाने के स्तरों में बढ़ोतरी तथा भूमि प्रयोग के बदलावों ने ग्रीन हाउस गैसों (मुख्यतः कार्बनडाइऑक्साइड [CO₂], मीथेन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) को पृथ्वी के वातावरण में उत्सर्जित किया है और निरंतर उत्सर्जन हो रहा है। ग्रीनहाउस गैसों के इस बढ़े हुए स्तर ने पृथ्वी के वातावरण में फंसी सूरज के ताप की मात्रा में वृद्धि की है, वह ताप जिसका सामान्यतः वापस अंतरिक्ष में विकिरण हो जाता। इसके कारण ग्रीनहाउस प्रभाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रभाव औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, हिम शिखरों का पिघलना, अवक्षेपण में परिवर्तन तथा महासागरों के तापमान में वृद्धि है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से पार पाने के लिए आवश्यक प्रयासों में एक ओर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना तो दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों का सामना करने की क्षमताओं तथा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना शामिल है।

समस्या की गंभीरता का आकलन

12.68 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी 2007) की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक, शताब्दी के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरणीय सांद्रता 278 भाग प्रति दस लाख के औद्योगिक-पूर्व वैल्यू से बढ़कर वर्ष 2005 में 379 भाग प्रति दस लाख हो गई है तथा औसत वैश्विक तापमान 0.74° सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अनुमान बताते हैं कि वैश्विक तापवृद्धि जारी रहेगी तथा और बढ़ेगी। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ को दर्शाता है जो कि पहले से ही तीव्र आर्थिक विकास के कारण जबरदस्त दबाव का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से चरम घटनाओं, बाढ़ तथा सूखे के प्रकार उसकी बारम्बारता तथा प्रगाढ़ता में वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिए, नीतियों के

बॉक्स 12.10 : विश्व ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

यद्यपि जीएचजी के विश्वव्यापी उत्सर्जन 1945 से बढ़ गए हैं, सबसे अधिक वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन होने से, वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या का कारण मौजूदा जीएचजी उत्सर्जनों को न बताकर ऐतिहासिक जीएचजी उत्सर्जनों के भंडार को मानते हैं।

अधिकतर देश, विशेषकर औद्योगिकीकृत देश, जिनके बहुत अधिक मौजूदा उत्सर्जन हैं, वे देश पूर्व में भी सबसे बड़े उत्सर्जक रहे हैं और जलवायु परिवर्तन में उनका प्रमुख योगदान है। अपेक्षाकृत कम संख्या के ऐसे देश ही वैश्विक जीएचजी उत्सर्जनों के भंडार के सबसे बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

सबसे अधिक कुल उत्सर्जनों के साथ औद्योगिकीकृत देशों की उन देशों के बीच भी गणना है जिनके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक हैं।

संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से निजात पाना प्रमुख चुनौती है तथा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर निजात पाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है।

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रवृत्तियां


12.69 वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन वर्ष 1945 से तेजी से बढ़े हैं। विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार, वर्ष 2005 में कुल जीएचजी 44,153 मी. CO₂ समकक्ष (मिलियन मीट्रिक टन) पर अनुमानित था। यह सबसे हालिया वर्ष था जिसके लिए प्रत्येक मुख्य गैस और क्षेत्र के लिए व्यापक उत्सर्जन आंकड़े उपलब्ध हैं (बॉक्स 12.10)। वर्ष 2000 तथा 2005 के बीच कुल वैश्विक उत्सर्जन 12.7 प्रतिशत अधिक बढ़ गया जो 2.4 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि है। CO₂ वर्ष 2005 में विश्व जीएचजी उत्सर्जनों में 77 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक उत्सर्जित गैस थी जिसके बाद मीथेन (15 प्रतिशत) तथा नाइट्रस ऑक्साइड (7 प्रतिशत)

उत्सर्जित गैस हैं। वर्ष 2005 में विश्व जीएचजी उत्सर्जनों का 18 प्रतिशत भाग उत्तरी अमरीका का है, चीन का 16 प्रतिशत तथा यूरोपीय यूनियन का 12 प्रतिशत है। 2005 में भारत का भाग 4 प्रतिशत है। मुख्य देशों के प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन चित्र 12.1 में दर्शाए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

12.70 जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, लोगों तथा मीडिया द्वारा जांच के अधीन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों में अब मजबूती से स्थापित हो गया है और बहुत सारे कारोबारों की राजनीतियों को व्यवस्थित भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन (समागम) 1992 में स्थापित हुआ था और 1994 में लागू हो गया था। विश्व की सरकारें समन्वित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें इस हेतु संस्थानों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कन्वेंशन विश्व के लगभग सभी देशों में लागू है। आज की तारीख तक, 194 देश इस कन्वेंशन के सदस्य हैं। इस कन्वेंशन का परम उद्देश्य यह है कि वातावरण में जीएचजी की सान्द्रता ऐसे स्तर पर स्थिर की जाए जिससे जलवायु तंत्र के साथ इसे खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इस तरह का स्तर एक पर्याप्त समय-सीमा के भीतर पाना होगा जिससे पारिस्थितिक जीवनतंत्र प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल ले ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा पैदा न हो और आर्थिक विकास धारणीय तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। यद्यपि इसका दायरा वैश्विक है, फिर भी भागीदार देशों की अपनी-अपनी क्षमताओं, आर्थिक संरचनाओं तथा संसाधनों के आधारों और 'साम्यता' का सिद्धान्त, जो जलवायु परिवर्तन की बहस का केन्द्र बिन्दु है, के आधार पर उन देशों की प्रतिबद्धताओं/जिम्मेदारियों का विशिष्टीकरण किया गया है। इसलिए वातावरण में जीएचजी

चित्र 12.1 CO₂ उत्सर्जन



की सान्द्रताओं के स्थिरीकरण पर किसी तरह की चर्चा से पहले वैश्विक वातावरण संबंधी संसाधनों की एकसमान पहुंच के लिए एक प्रतिमान तैयार कर लिया जाए जो राष्ट्रों के विकास के आकार को निर्धारित करेगा। कन्वेंशन विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी उनकी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण करता है। ये प्रतिबद्धताएं विकसित देशों पर उनके द्वारा जीएचजी उत्सर्जनों में 1990 के स्तरों के संदर्भ में कटौती किए जाने तथा वित्त और तकनीक के संदर्भों में विकासशील देशों को सहायता के प्रावधान के रूप में कार्यान्वित की जानी हैं ताकि उनको स्वैच्छिक रूप से प्रशमन और अनुकूलन उपायों को कर सकने में समर्थ बनाया जा सके। कन्वेंशन यह स्वीकारता है कि आर्थिक तथा सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन विकासशील देशों की 'पहली और अधिभावी प्राथमिकताएं' हैं।

12.71 कन्वेंशन ने सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके फलस्वरूप कानूनी तौर पर बाध्यकारी मात्रात्मक समयबद्ध लक्ष्य वाला क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए पारित किया गया। पहली प्रतिबद्ध अवधि 2008 में 2012 तक समग्र उत्सर्जनों के स्तर में 1990 के स्तरों से कम से कम 5 प्रतिशत की कटौती किए जाने का लक्ष्य क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों (अकेले अथवा संयुक्त रूप से) के लिए नियत किया। यह स्वीकारते हुए कि केवल घरेलू उपायों पर भरोसा करके लक्ष्य को पाना दूभर हो सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल तीन मैकेनिज्मों के माध्यम से काफी लचीलेपन का प्रस्ताव रखता है: स्वच्छ विकास मैकेनिज्म (सीडीएम) संयुक्त कार्यान्वयन (जेआई) तथा उत्सर्जन व्यापार (ईटी)। सीडीएम के माध्यम से औद्योगिक देश अपने धारणीय विकास में योगदान करते हुए विकासशील देशों में प्रशमन परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं। इस तरह की परियोजनाओं से प्राप्त क्रेडिट्स को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उपयोग किया जा सकता है। जेआई के माध्यम से औद्योगिकीकृत देश अन्य औद्योगिकीकृत देशों में परियोजनाओं को वित्तीय रूप से मदद करके उत्सर्जन क्रेडिट्स पा सकते हैं। ईटी के अंतर्गत देश अन्य देशों से उनके अप्रयुक्त कोटे को खरीद सकते हैं जो यह उम्मीद रखते हैं कि वे अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को नियत लक्ष्यों से अधिक पा लेंगे। संयुक्त राज्य अमरीका के अलावा सभी प्रमुख देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया है।

12.72 कान्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (सीओपी) जो कन्वेंशन का सर्वोच्च निकाय है सालाना बैठक करता है। दिसम्बर 2007 में, बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 13वें सीओपी के दौरान अब, 2012 तक तथा 2012 के बाद तक भी दीर्घ आवधिक सहकारी कार्रवाई के माध्यम से कन्वेंशन के संपूर्ण, प्रभावी तथा धारणीय कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए बाली कार्य योजना नाम से एक संक्षिप्त प्रक्रिया आरंभ की गई थी। सम्प्रति, बाली कार्य योजना तथा क्योटो

प्रोटोकॉल के आदेशपत्र के तहत जलवायु परिवर्तन की समस्या का निवारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाईयों का पालन किया जा रहा है। दिसम्बर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित 15वें सीओपी ने 'कोपेनहेगन समझौता' के रूप में कुछ प्रगति की है जो देशों

बॉक्स 12.11 : कानकून समझौतों के तत्व

- (i) औद्योगिकीकृत देशों के लक्ष्यों को बहुपक्षीय प्रक्रिया के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाती है और इन देशों को अल्प-कार्बन विकास योजनाएं तथा राजनीतियां विकसित करनी हैं तथा इसका मूल्यांकन करना है कि इनको बाज़ार मैकेनिज्म के जरिए भी बढ़िया तरीके से कैसे पाया जाए और अपनी सूचियों की जानकारी वार्षिक रूप से देनी होगी।
- (ii) उत्सर्जनों में कटौती करने के विकासशील देशों की कार्रवाईयों को आधिकारिक रूप से मान्यता बहुपक्षीय प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है। औद्योगिकीकृत देशों द्वारा विकासशील देश की प्रशमन कार्रवाईयों, उनके वित्तपोषण और तकनीकी सहायता का रिकार्ड रखने तथा मिलान करने के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित की जानी है। विकासशील देशों को प्रगति रिपोर्ट हर दो वर्ष में प्रकाशित करनी है।
- (iii) क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बैठक करने वाले देशों को अपना कार्य समाप्त करने तथा संधि की पहली तथा दूसरी प्रतिबद्धता अवधियों के बीच कोई अंतर नहीं आने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परक्रामणों को जारी रखने पर सहमत होना है।
- (iv) क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम को विकासशील विश्व में पर्यावरणीय रूप से मजबूत और धारणीय उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में और अधिक मुख्य निवेशों तथा तकनीक को लाने के लिए सुदृढ़ किया गया है।
- (v) भागीदार देशों ने जलवायु परिवर्तन से असुरक्षित देशों को बचाने के लिए तथा अपने स्वयं के धारणीय भविष्यों की योजना बनाने और निर्माण करने के लिए जिस राशि तथा तकनीक की आवश्यकता की विकासशील देशों को जरूरत है, के लिए पहलों तथा संस्थानों के एक सेट की शुरुआत की है।
- (vi) वर्ष 2012 तक विकासशील विश्व में जलवायु कार्रवाई को सहायता देने के लिए औद्योगिकीकृत देशों की ओर से द्रुत शुरुआत वित्तपोषण में कुल +30 बिलियन तथा 2020 तक दीर्घ-आवधिक निधियन में +100 बिलियन उगाहने का इरादा निर्णयों में शामिल है।
- (vii) जलवायु वित्तपोषण के क्षेत्र में, विकसित तथा विकासशील देशों के समान प्रतिनिधित्व वाले बोर्ड के साथ, भागीदार देशों के सम्मेलन के अंतर्गत 'स्वच्छ जलवायु निधि' अभिकल्प करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की गई है।
- (viii) हानि और क्षति होने पर कार्य जारी रखने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया सहित वृद्धित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं की बेहतर आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए एक नया कानकून अनुकूलन ढांचा बनाया गया है।
- (ix) विकासशील देशों में वन कटाई तथा वन अवक्रमण से होने वाले उत्सर्जनों को कम करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ सरकारें कार्रवाई को बढ़ावा देने को सहमत हैं।
- (x) अनुकूलन और प्रशमन पर कार्रवाई को सहायता देने के लिए तकनीकी सहायता में वृद्धि करने के लिए भागीदार देशों में तकनीकी कार्यकारी समिति तथा जलवायु तकनीकी केंद्र और नेटवर्क स्थापित किया गया है।

के चुनिंदा समूह द्वारा अपनाए गए राजनीतिक विवेक को प्रतिबिम्बित करती है। तथापि, इस बात को केवल 'नोट' किया गया और कन्वेंशन के भागीदार देशों द्वारा अपनाया नहीं गया। 29 नवम्बर-11 दिसम्बर, 2010 के दौरान कानकुन में हुए हालिया परक्रामणों के परिणामस्वरूप कुछ फैसले लिए गए हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने पर सहमत होते हुए, कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं, उदाहरणार्थ बाली कार्य योजना में तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार प्रशमन, अनुकूलन, तकनीक तथा वित्त। कानकुन समझौतों में कन्वेंशन तथा क्योटो प्रोटोकॉल परक्रामणकारी मार्गों दोनों के अंतर्गत लिए गए निर्णय शामिल हैं। (बॉक्स 12.11)। वे संतुलित, आगे बढ़ाए गए छोटे कदमों तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया में विश्वास को पुनः पुष्ट करने के रूप में व्यापक रूप से देखे जाते हैं। कानकुन सहमतियों के अनुसार, कन्वेंशन के सभी भागीदार देश (विकसित तथा विकासशील देशों को मिलाकर) कार्यान्वयन के लिए अपने स्वैच्छिक प्रशमन लक्ष्यों की जानकारी देने के लिए राजी हो गए हैं। ये सहमत अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अनुपात तथा सत्यापन अथवा अंतर्राष्ट्रीय परामर्श, जैसा उपयुक्त हो, के अधीन होंगे। अनुकूलन तथा प्रशमन के लिए विकासशील देश की कार्रवाइयों को समर्थन देने के लिए वैश्विक स्तर पर स्वच्छ जलवायु निधि, तकनीक मैकेनिज़्म तथा एक अनुकूलन समिति स्थापित करने के लिए कानकुन में निर्णय लिए गए थे। ये निर्णय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बहुत हद तक दिसम्बर 2009 में कोपेनहेगन समझौते के रूप में देशों के चुनिंदा समूह के राजनीतिक विवेक को प्रतिबिम्बित करते हैं।

सारणी 12.14 : 1994 से 2007 के बीच क्षेत्रों के जीएचजी उत्सर्जनों

(CO₂ समसंयोजक के मिलियन टन में)

	1994	2007	सीए जीआर (प्रतिशत)
विद्युत	355.03 (28.4)	719.30 (37.8)	5.6
परिवहन	80.28 (6.4)	142.04 (7.5)	4.5
आवास	78.89 (6.3)	137.84 (7.2)	4.4
अन्य ऊर्जा	78.93 (6.3)	100.87 (5.3)	1.9
सीमेंट	60.87 (4.9)	129.92 (6.8)	6.0
लौह एवं इस्पात	90.53 (7.2)	117.32 (6.2)	2.0
अन्य उद्योग	125.41 (10.0)	165.31 (8.7)	2.2
कृषि	344.48 (27.6)	334.41 (17.6)	-0.2
अपशिष्ट	23.23 (1.9)	57.73 (3.0)	7.3
एलयूएलयूसीएफ के बिना कुल	1251.95	1904.73	3.3
एलयूएलयूसीएफ	14.29	-177.03	
एलयूएलयूसीएफकेसाथ कुल	1228.54	1727.71	2.9

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिखाए आंकड़े क्रमशः 1994 तथा 2007 में एल यू एल यू सी एफ के बिना कुल जी एच जी उत्सर्जनों के संबंध में प्रत्येक क्षेत्र से हुए उत्सर्जनों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

भारत के ग्रीनहाउस उत्सर्जन

12.73 यद्यपि जीएचजी उत्सर्जनों के संदर्भ में भारत का नम्बर पहले पांच में आता है, लेकिन यदि पहले किए गए उत्सर्जनों को हटा भी दिया जाए तो भी विकसित देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। उत्सर्जनों के उच्च स्तर का कारण यहां की बड़ी जनसंख्या, भौगोलिक आकार तथा बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (आईएनसीसीए) द्वारा मई 2010 में किए गए मूल्यांकन भारत के लिए उपलब्ध सबसे ताजे आंकड़े हैं। मूल्यांकन के अहम परिणाम यह हैं कि वर्ष 2007 में भारत से कुल निवल जीएचजी उत्सर्जन 1727.71 मिलियन टन CO₂ समसंयोजक (ई.क्यू.) हुआ, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 1221.76 मिलियन टन; मीथेन 20.56 मिलियन टन; तथा नाइट्रस डाइऑक्साइड 0.24 मिलियन टन था। वर्ष 1994 में, भारत का कुल निवल जीएचजी उत्सर्जन CO₂ ई.क्यू. 228.54 था यह 1994 से 2007 के दौरान 2.9 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है (सारणी 12.14)। ऊर्जा, उद्योग, कृषि तथा अपशिष्ट क्षेत्रों से 2007 में हुए जीएचजी उत्सर्जन निवल CO₂ ई.क्यू. उत्सर्जनों का क्रमशः 58 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, 17 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत गठित करते हैं। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा वानिकी (एलयूएलयूसीएफ)सहित भारत के प्रति व्यक्ति CO₂ ई.क्यू. उत्सर्जन वर्ष 2007 में 1.5 टन प्रति व्यक्ति थे।

भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

12.74 प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों के जीवनयापनों हेतु जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक निहितार्थ हैं। इसके पर्यावरणीय तथा सामाजिक-आर्थिक संबंधित क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव होंगे।

बॉक्स 12.12 : भारत जलवायु परिवर्तन के बारे में क्यों चिंतित है?

भारत एक ऐसा देश है जिस पर जलवायु परिवर्तन का प्रचण्ड प्रभाव पड़ेगा। इससे गरीबी उन्मूलन तथा बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों के अलावा इसके विकासात्मक मार्ग में अतिरिक्त अवरोध उत्पन्न होता है। जलवायु परिवर्तन के अनुमानित असर विभिन्न क्षेत्रों, प्राकृतिक तंत्रों जैसे कि तटीय इलाकों, जल संसाधनों, वन, कृषि तथा स्वास्थ्य तक विस्तारित हैं। चूंकि भारत की कृषि आधारित जनसंख्या है, इसलिए मौसम प्राचलों में बदलाव के प्रति भारत संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त, वर्षा परिवर्तनशीलता और हिमनदियों के पिघलने से नदियों की पुनः पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा, उसके द्वारा नदी-क्षेत्रों और जलविभाजकों में जल की उपलब्धता प्रभावित होगी। भारत में, उत्तरी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली अधिकतर नदियां बर्फ तथा हिमनदी के पिघलने पर निर्भर हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन इन नदियों के बारहमासी बहते रहने की प्रकृति के लिए खतरा है। इसके कृषि तथा समवर्गी क्रियाकलापों तथा परिणामस्वरूप जीवनयापनों के लिए विशाल निहितार्थ हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने विकासात्मक मार्ग के समानान्तर अपने प्राकृतिक संसाधनों के आधार से जुड़ी हुई है, उसके लिए यह गंभीर चिंता का विषय है।

विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि कृषि, जल प्राकृतिक पारिस्थितिक जीवनतंत्र, जैव-विविधता तथा स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं (बॉक्स 12.12)। यह ठीक उसी समय हो रहा है जब वह भारी विकास जरूरतों से जूझ रहा है। भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (आईएनसीसीए) ने अहम क्षेत्रों तथा भारत के क्षेत्रों पर वर्ष 2030 में होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मूल्यांकन पर नवम्बर 2010 में एक रिपोर्ट जारी की थी। यह मूल्यांकन भारतीय अर्थव्यवस्था के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामतः कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिक जीवनतंत्र और जैव-विविधता तथा चार जलवायु अतिसंवेदनशील क्षेत्रों नामतः हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य को कवर करता है। रिपोर्ट समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल सिंचित फसलों में फसल पैदावार में कमी, पशुधन पर दबाव, दुग्ध उत्पादन में कमी, बाढ़ों में वृद्धि तथा मलेरिया के विस्तार के प्रभावों की चेतावनी देती है। यही वजह है जो जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता में कमी लाने तथा क्षेत्र-विशेष हस्तक्षेपों और प्रयासों के माध्यम से अनुकूलन क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को आवश्यक बनाती है।

भारत की रणनीतियां


12.75 भारत का कुल CO₂ उत्सर्जन कुल वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 4 प्रतिशत है तथा भारत के आउटपुट की ऊर्जा मात्रा दक्षता, स्वायत्त तकनीकी परिवर्तनों तथा उर्जा के मितव्ययी उपयोग में सुधारों की गति से पीछे है। भारत के जलवायु प्रतिरूपण अध्ययन दर्शाते हैं कि अगले एक अथवा दो दशकों के लिए प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8-9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भी 2030 तक इसके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन मौजूदा 1-1.2 टन की तुलना में CO₂ इक्व्यू के लगभग 3-3.5 टन होंगे। यह अनुमान के किसी भी तरीके से विकसित देशों के औसत से बहुत कम है। जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए भारत का दृढ़ निश्चय इस तथ्य से व्यक्त होता है कि उर्जा दक्षता के निर्देशात्मक लक्ष्य को 2016-17 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने को पहले से ही ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। सक्रिय नीतियों के जरिए 2020 तक जीडीपी की उत्सर्जन मात्रा 2005 के स्तर के 20-25 प्रतिशत तक घटाने के घरेलू प्रशमन लक्ष्य से इसे अब बढ़ाया गया है। इस उद्देश्य को पाने के लिए आवश्यक उपायों के लिए संसाधनों को राष्ट्रीय आयोजना प्रक्रिया सहित विभिन्न स्रोतों से जुटाए जाने की जरूरत होगी। व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य विकास के लिए न्यून कार्बन रणनीति के संबंध में अध्ययन इसको बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में शामिल करने के उद्देश्य के साथ संचालित किया जा रहा है। दूसरे, ऊर्जा ईंधन मिश्रण में विविधता लाने के लिए भारत सचेतन कदमों को उठा रहा है, जैसे कि 20,000 में मे.वा. की और विद्युत सृजन उत्पादन 2022 तक

स्थापित करना, अगले दशक के दौरान उर्जा विविधता में नाभिकीय विद्युत के मौजूदा 3 प्रतिशत भाग को दोगुना करना, ऊर्जा दक्षता उद्दीपित करने के लिए एक प्रमुख बाजार-आधारित कार्यक्रम स्थापित करना, यद्यपि कोयला हमारी भावी उर्जा रणनीति में अहम भूमिका अदा करता रहेगा फिर भी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के वित्तपोषण के लिए कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर लगाना तथा विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक गैस के उपयोग को जोर शोर से विस्तारित करना। तीसरे, वन फैलाव की गुणता और प्रमात्रा में बढ़ोतरी के लिए भारत वानिकी तथा तटीय प्रबंधन हेतु उद्यमशील रणनीति को आगे बढ़ाता रहा है तथा हमारे देश में 300 मिलियन से अधिक लोग जो हमारे तटों के नजदीक संवेदनशील इलाकों में रहते हैं, उनके द्वारा सामना की जा रही अनुकूलन चुनौतियों का निवारण करने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर एक प्रमुख नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

12.76 यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के रूप में भारत आवधिक रूप से राष्ट्रीय संचार (नैटकॉम) तैयार करता है जो भारत में जीएचजी उत्सर्जनों का ब्यौरा देता है, संवेदनशील तथा प्रभावों का मूल्यांकन करता है तथा जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी उपायों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करता है। यूएनएफसीसीसी को पहला नैटकॉम वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था। सरकार अब नैटकॉम-II तैयार करने में जुटी हुई है, जिसे यूएनएफसीसीसी को वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया जाएगा। नैटकॉम तैयार करना भारत में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक संस्थानों के विस्तृत नेटवर्क पर आधारित उच्च वैज्ञानिक परिश्रम की एक प्रक्रिया है और विभिन्न संस्थानों की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता इसमें शामिल होती है। इस कार्य में सहायता के लिए व्यापक जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन के लिए भारत ने तकरीबन 250 वैज्ञानिकों तथा 120 अनुसंधान संस्थानों का एक व्यापक भारतीय नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क ने वर्ष 2007 के लिए पहले ही भारत की जीएचजी सूची को तथा वर्ष 2030 एक समयावधि जिसके लिए अब निर्णयात्मक हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, के लिए देश के चार अहम सेक्टरों तथा चार अहम क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का 4x4 मूल्यांकन प्रकाशित किया है। आशा है कि यह नेटवर्क ब्लैक कार्बन, जिसके जलवायु परिवर्तन तथा लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकते हैं, के प्रभाव को मापने, उसका अनुवीक्षण करने तथा प्रतिरूपण के लिए कार्यक्रम स्थापित करेगा।

12.77 जलवायु परिवर्तनशीलता की तुलना में अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत की रणनीति इसके बहुत से सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों में झलकती है। भारत सरीखे विकासशील देशों के लिए अनुकूलन अन्ततोगत्वा आपातकालीन मौकों के दौरान संवेदनशील जनसंख्या को सहायता प्रदान करना तथा अपने जीवन का निर्माण करने में उनको तथा दीर्घावधि के दौरान अनिश्चितताओं का सामना करने में सशक्त

चित्र 12.2 अनुकूलन अभिमुखी स्कीमों पर कुल व्यय



बनाने तक सीमित है। भारत की सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों में से बहुत सारी स्कीमों का जोर आजीविका की सुरक्षा करने और कमजोर तबकों के कल्याण पर ही है, ऐसा करने को ही लक्ष्य बना कर इतिश्री हो जाती है। भारत सामाजिक तथा आर्थिक विकास पाने को लक्षित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की श्रृंखला कार्यान्वित करता है। इनमें से बहुत सी स्कीमों में तत्व (उद्देश्य और लक्ष्य) शामिल होते हैं जो निश्चित रूप से अनुकूलन के अनुकूल होते हैं। अन्य शब्दों में, वर्तमान में प्रचालन में बहुत सारी क्षेत्रीय स्कीमों काफी हद तक अनुकूलन की ओर अभिमुख होती हैं। महत्वपूर्ण अनुकूलन घटक: (क) फसल सुधार एवं अनुसंधान, (ख) गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका की सुरक्षा, (ग) सूखे से बचाव और बाढ़ नियंत्रण, (घ) जोखिम वित्तपोषण, (ङ) वन संरक्षण, (च) स्वास्थ्य तथा (छ) ग्रामीण शिक्षा तथा अवसरचना। यह देखा गया है कि इन अनुकूलन अभिमुखी स्कीमों पर भारत का व्यय वर्ष 2000-01 में जीडीपी के 1.45 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 के दौरान 2.82 प्रतिशत हो गया है (चित्र 12.2) यह स्पष्टतया खर्च का प्रभावशाली स्तर है। और भारत में कार्यान्वयन के अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बहुतायत में होने की प्रत्यक्ष झलक है (सारणी 12.15)।

12.78 भारत ने जून, 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) की घोषणा की है, जिसमें धारणीय विकास की दूरदर्शिता शामिल है तथा कदम हैं जिन्हें इनकी पूर्ति के लिए उठाना ही होगा। एनएपीसीसी का समन्वय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा होता है तथा कार्यान्वयन नोडल मंत्रालयों द्वारा तथा इसका उद्देश्य विशिष्ट सेक्टरों/क्षेत्रों में संगत कार्रवाईयों को कार्यान्वित करना है। सौर ऊर्जा, वृद्धित ऊर्जा दक्षता, धारणीय कृषि, धारणीय पर्यावास, जल, हिमालय पारिस्थितिक जीवनतंत्र, वनक्षेत्र में बढ़ोतरी तथा जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान के क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय मिशन एनएपीसीसी का प्रमुख भाग बनाते हैं (बॉक्स 12.13)। राज्य सरकारें भी केन्द्र सरकार की सलाह के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए संस्थागत तथा कार्यक्रम-अभिमुख क्षमताओं के सृजन हेतु उद्देशित राज्य कार्य योजनाएं तैयार कर रही हैं। ये राष्ट्रीय मिशनों के साथ पब्लिक और प्राइवेट डोमेन्स में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाईयों को आगे बढ़ाएंगे।

जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण

12.79 जी एच जी उत्सर्जनों के प्रशमन का निवारण करने के लिए वित्तपोषण के संदर्भों में मुख्य निहितार्थों के साथ एक ओर

सारणी 12.15 : अनुकूलन-अभिमुखी स्कीमों पर कुल व्यय

वर्ष	जीडीपी (करोड़ रु.)	व्यय बजट का सकल जोड़ (करोड़ रु.)	अनुकूलन अभिमुखी कार्यक्रमों पर व्यय (करोड़ रु.)	कुल सरकारी व्यय बजट के प्रतिशत के रूप में अनुकूलन अभिमुखी कार्यक्रमों पर व्यय	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुकूलन अभिमुखी कार्यक्रमों पर व्यय
2000-01	1,864,301	335,523	27,028	8.06	1.45
2003-04	2,222,758	474,254	39,792	8.39	1.79
2005-06	3,254,216	508,705	62,071	12.20	1.91
2008-09	4,162,509	900,953	106,463	11.82	2.56
2009-10	4,493,743	1,021,546	126,028	12.34	2.84

बॉक्स 12.13 : आठ राष्ट्रीय मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)

सरकार ने वर्ष 2022 तक 20,000 मे.वा. ग्रिड सौर विद्युत (सौर तापीय विद्युत-उत्पादन प्रणालियों तथा सौर प्रकाश वोल्टीय एसपीवी, तकनीकों पर आधारित), 2000 मे.वा. की ऑफ-ग्रिड क्षमता के लक्ष्य के साथ जनवरी, 2010 में जेएनएनएसएम की शुरुआत की है। मिशन तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहला चरण तीन वर्षों (मार्च 2013 तक चलेगा, दूसरा मार्च, 2017 तक तथा तीसरा मार्च 2022 तक। सरकार ने मिशन के पहले चरण के कार्यान्वयन (मार्च 2013 तक) तथा 100 मे.वा. के रूफटॉप और लघु सौर संयंत्र और 200 मे.वा. दक्षता के समकक्ष ऑफ ग्रिड सौर एप्लीकेशन्स स्थापित करने के लक्ष्य तथा मिशन के पहले चरण में 2012-13 तक 7 मिलियन वर्ग मी. सौर तापीय एकत्रण क्षेत्र को भी अनुमोदित किया है।

ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता

राष्ट्रीय वृद्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) का उद्देश्य अंतिम प्रयोग मांग-पक्ष प्रबंधन के लिए लागत-प्रभावी रणनीतियों की युक्ति निकालते हुए पारिस्थितिक धारणीयता के साथ प्रगति करना है। विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को एनएमईईई के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार करने तथा लगभग 74,000 करोड़ रु. के निवेश को प्रकट करने के लिए ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार सृजित करने और संपोषित करने के प्रयासों को बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है। संभावना है कि मिशन 19,000 मे.वा. से अधिक की क्षमता वृद्धि से बचने की प्रत्याशा के साथ 2014-15 तक कोयला, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में लगभग 23 मिलियन टन तेल-समकक्ष की ईंधन बचतों को प्राप्त कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौतियां वार्षिक 98.55 मिलियन टन होनी अनुमानित हैं।

जलवायु परिवर्तन हेतु राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी)

एनएमएसकेसीसी की शुरुआत जलवायु परिवर्तन से संगत ज्ञान और आंकड़ा संसाधनों को सुव्यवस्थित करने तथा सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच रणनीतिक ज्ञान का निर्माण करने के लिए डाटा-शेयरिंग नीतिगत ढांचे के स्थापन, ज्ञान के अंतर की पहचान, भौतिक बौद्धिक तथा नीति अवसंरचना संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग के निवेश के बाद ज्ञान संस्थानों की नेटवर्किंग, मौजूदा संस्थागत ढांचे के भीतर नए समर्पित केंद्रों के सृजन, रणनीतिक गठजोड़ों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के एजेंडे के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा धारणीय विकासवादी एजेंडा के लिए नीतियों को प्रतिपादित करने के लिए सहायता के व्यापक उद्देश्यों के साथ की गई है।

राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक जीवनतंत्र के संपोषण हेतु मिशन (एनएमएसएचई)

एनएमएसएचई के व्यापक उद्देश्यों में: हिमालयी पारिस्थितिक जीवनतंत्र को प्रभावित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं को समझना तथा उसको संपोषित करने और उसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंधन तथा नीतिगत उपायों को विकसित करना, विभिन्न डोमेन्स में क्षमताओं का सृजन और उनका निर्माण, हिमालयी पारिस्थितिक जीवनतंत्र पर संगत डाटाबेस के अनुसंधान और विकास में रत ज्ञान संस्थानों की नेटवर्किंग, पर्वतीय पारिस्थितिक जीवनतंत्र वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों के प्राकृतिक तथा मानव द्वारा प्रेरित संकेतों का पता लगाना और उनको अलग करना, कृषि तथा परम्परावादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों सहित अनुकूलन, प्रशमन और सामना करने के मैकेनिज्मों में सामुदायिक प्रतिभागिता के लिए परम्परावादी ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन करना तथा पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहायता का विकास करना, अनुवीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से एक सुदृढ़ डाटाबेस बनाना ताकि नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए अन्ततः ज्ञान का आधार सृजित हो सके, शामिल हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन

‘जल संरक्षण, न्यूनतम अपव्यय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और राज्य के भीतर दोनों में इसका अधिक समान संवितरण सुनिश्चित करना’ राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य हैं। जन अधिकार-क्षेत्र में व्यापक जल डाटाबेस, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर का मूल्यांकन, जल संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण हेतु नागरिक तथा राज्य कार्यवाहियों को बढ़ावा, अधिक दोहन हो चुके क्षेत्रों पर संकेन्द्रित ध्यान, जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा बेसिन-एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य हैं।

ग्रीन इंडिया मिशन

मिशन का लक्ष्य अनुकूलन और प्रशमन उपायों के सम्मिश्रण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। इन उपायों में धारणीय रूप से प्रबंधित वनों तथा अन्य पारिस्थितिक जीवनतंत्रों में कार्बन सिक्स में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जीवजातियों/पारिस्थितिक जीवनतंत्रों का अनुकूलन तथा वन-निर्भर समुदायों का अनुकूलन है। वनगैर-वन भूमि के 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृद्धित वन/वृक्ष विस्तार तथा अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर (कुल 10 मिलियन हेक्टेयर) पर वन विस्तार की गुणता में सुधार, जैव विविधता, जल-विज्ञान संबंधी सेवाओं, 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन पृथक्करण सहित सुधार हुई पारिस्थितिक जीवनतंत्र सेवाएं, वन में तथा इसके आसपास लगभग 3 मिलियन परिवारों के लिए वृद्धित वन आधारित आजीविका तथा वर्ष 2020 में 55 मिलियन टन तक वृद्धि वार्षिक CO_2 पृथक्करण मिशन के उद्देश्य हैं।

राष्ट्रीय धारणीय पर्यावास मिशन (एन एम एस एच)

एन एम एस एच भवन तथा शहरी आयोजना में ऊर्जा दक्षता में सुधारों, पुनर्चक्रण तथा विद्युत उत्पादन सहित ठोस एवं द्रव अपशिष्ट के सुधरे हुए प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और संरक्षण की दिशा में रूपात्मक परिवर्तन के माध्यम से पर्यावासों की धारणीयता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है। यह चरम मौसम घटनाओं के लिए उन्नत चेतावनी प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अवसंरचना, समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन की समुत्थान-शक्ति में सुधार लाते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने के लिए पर्यावासों की योग्यता में सुधार लाने का भी प्रयत्न करता है।

राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (एन एन एस ए)

राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (एन एन एस ए) खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित, आजीविका अवसरों में वृद्धि तथा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता को योगदान करते हुए उपयुक्त अनुकूलन और प्रशमन रणनीतियों की युक्तियां निकालने के द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में ‘धारणीय कृषि’ संबंधी मुद्दों का निवारण करने का प्रयत्न करता है। इस मिशन के अंतर्गत, अनुकूलन और प्रशमन उपायों को अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को मुख्यधारा में मिलाया जाएगा, सुधरी हुई तकनीक और उत्तम कार्यविधियों का विलियन, भौतिक और वित्तीय अवसंरचना तथा संस्थागत ढांचे का सृजन, सूचना की पहुंच को सुसाध्य बनाया जाएगा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यद्यपि सूखे तथा नाशक जीव रोधी फसलों की उचित किस्मों को विकसित करने तथा पर्याप्त संस्थागत सहायता सुनिश्चित के माध्यम से शुष्क भूमि कृषि का संवर्धन प्रमुख महत्व प्राप्त करेगा, मिशन अपना विस्तार पशुधन और मत्स्य-पालन के साथ एकीकृत कृषि प्रणालियों के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों तक भी करेगा ताकि कृषि धारणीय तरीके से निरंतर बढ़ती रहे।

जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर समुदाय और जनसंख्या, पारिस्थितिक जीवनतंत्र तथा अर्थव्यवस्था और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों का सामना किया जाता है। अन्ततः जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्रवाइयों में लागत शामिल होती है। अनुकूलन तथा प्रशमन योजनाओं तथा परियोजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए भारत सरीखे देशों के लिए वित्तपोषण बहुत अहम है। समस्या भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और अधिक गंभीर है जो अनुकूल होने की थोड़ी क्षमता के साथ जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा सहने वालों में से एक होंगे। अधिकतर देश बेशक जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में ही देखते हैं और अपने अधिकार में सीमित संसाधनों के साथ अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से इसका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय अर्थोपाय खोजने होंगे जिससे कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के अपने प्रयासों को बढ़ा सकें, खासकर अपनी अनुकूलन क्षमता में बढ़ोतरी करते हुए। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय मुद्दा और एक आर्थिक लागतों तथा विकास का मुद्दा दोनों है।

12.80 वित्तपोषण की कमी अनुकूलन योजनाओं को कार्यान्वित करने में एक बहुत बड़ी अड़चन है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 4 बताता है कि जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। जो निधियां वर्तमान में कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उपलब्ध हैं वह कई अध्ययनों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार आवश्यकता की मात्रा की तुलना में कम हैं। यू एन एफ सी सी ने जी एच जी उत्सर्जनों को 2030 में मौजूदा स्तर तक वापस लाने के लिए अतिरिक्त निवेश के तौर पर 200-210 बिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, अनुकूलन के लिए यू एन एफ सी सी द्वारा 2030 में विश्वव्यापी रूप से 60-182 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें विकासशील देशों में होने वाले 28-67 बिलियन अमरीकी डॉलर का खर्च शामिल है। जैसा कि जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए विभिन्न अनुमान निधियों की विशाल राशि की ओर संकेत करते हैं भारत समेत विकासशील देश यह बहस कर रहे हैं कि अनुकूलन और प्रशमन के लिए दीर्घ-आवधिक वित्तीय आवश्यकताओं से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के लिए मुख्यतः जन स्रोतों से उत्पादन तथा लेखांकन के लिए एक वैश्विक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। कन्वेंशन के अंतर्गत एक बहुपक्षीय वित्तीय मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे मूल्यांकित योगदानों के आधार पर विकसित देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से स्थापित किया जाए।

12.81 वित्त की दृष्टि से देखा जाए तो कानकून समझौतों के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है 'तीव्र आरंभ वित्त, दीर्घ-आवधिक वित्त तथा स्वच्छ जलवायु निधि' पर हुए निर्णय। कानकून में,

'स्वच्छ जलवायु निधि' स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत कन्वेंशन के वित्तीय मैकेनिज्म की एक प्रचालन तत्व के तौर पर नामित किया जाना था। स्वच्छ जलवायु निधि सीओपी के प्रति जवाबदेह है और उसके दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करता है। निधि विकसित तथा विकासशील देशों से समान रूप से चुने हुए 24 सदस्यों के बोर्ड से शासित होगी। निधि विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों तथा अन्य कार्यक्रमों को सहायता देगी। अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों से संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों की चिंताओं का निवारण बोर्ड द्वारा किए जाने की जरूरत है। स्वच्छ जलवायु निधि का एक 'न्यासी' होगा जो न्यासीय उत्तरदायित्वों के निष्पादन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह होगा। निधि के प्रचालन में आने के तीन वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन, विश्व बैंक को 'अंतरिम' न्यासी के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया गया है। निधि के प्रचालन को स्वतंत्र सचिवालय द्वारा समर्थित तथा 40 सदस्यीय विकसित देशों से 15 विकासशील देशों से 25 सदस्य, परिवर्ती समिति द्वारा अभिकल्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण की सुपुर्दगी में सामंजस्य और समन्वय को सुधारने के लिए सी ओ पी के अंतर्गत एक स्थायी समिति की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, 2010-12 की अवधि के लिए लगभग 30 बिलियन अमरीकी डॉलर 'तीव्र आरंभ वित्त' के प्रति प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए कानकून समझौते के तहत विकसित देशों से उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर सूचना प्रस्तुत करने का आहवान किया गया। इसने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए 'दीर्घ-आवधिक वित्त' के रूप में 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष संयुक्त रूप से जुटाने के लक्ष्य की भी पहचान की। 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत के निर्धारित योगदान के विकासशील देशों के आहवान से कम रह गया। इसके अलावा, विकासशील देश मुख्य स्रोत के तौर पर सार्वजनिक निधियों पर बल दे रहे थे, जबकि, कानकून समझौते ने विनिर्दिष्ट नहीं किया कि विकसित देशों द्वारा निधियों को कैसे जुटाया जाएगा।

12.82 भारत की पहलें सफल होंगी यदि कार्रवाइयों का वैश्विक ढांचा प्रभावी और मददगार हो। यद्यपि, जलवायु निधि, प्रौद्योगिकी मैकेनिज्म तथा अनुकूलन ढांचे तथा वानिकी (आर ई डी डी +) का स्वागत है, विकसित देशों द्वारा कमजोर प्रशमन प्रतिज्ञाओं को सुदृढ़ करने की, जलवायु परिवर्तन के नाम पर एकपक्षीय व्यापार कार्रवाइयों का बचाव करने पर तथा प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण प्रयासों के भाग के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संवाद जारी रखने के लिए और अधिक कार्य करने की जरूरत है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए सफल वैश्विक प्रयास को निष्पक्ष तथा आम परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारियों के सुदृढ़ सिद्धांतों पर निर्मित करना होगा। वैश्विक वातावरणीय संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच के संदर्भों में निष्पक्षता

को विज्ञान के व्यापक निष्कर्षों के अनुसार दीर्घ-आवधिक लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग को परिभाषित करना चाहिए। भावी परक्रामणों में, वातावरणीय संसाधनों तक निष्पक्ष पहुंच के लिए विकासशील देशों को अपने लिए गुंजाइश सुनिश्चित करने की जरूरत है। 'आम परन्तु विशिष्ट जिम्मेदारियां' के सिद्धांत के अनुसरण में विकसित देश भागीदारों द्वारा अपनी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में क्योटो प्रोटोकॉल को जारी रखना तथा संतुलित प्रशमन प्रतिबद्धताएं बहुपक्षीय प्रक्रिया की साख को बरकरार रखने के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को विज्ञान-आधारित और वैश्विक समुदाय की पर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए परमावश्यक है। अन्य शब्दों में, वैश्विक समस्या के रूप में, जलवायु परिवर्तन का कोई भी समाधान आम परन्तु विशिष्ट जिम्मेदारियों के पुनर्गठन तथा 'साम्यता' के सिद्धांत के साथ सभी देशों की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए।

संभावनाएं तथा चुनौतियां

12.83 2008 में वैश्विक संकट के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर संतुलित रूप से प्रतिलाभ करती रही है जो संकट के विपरीत प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियों का परिणाम है। रोजगार के मोर्चे पर भी हम वैश्विक संकट के विपरीत प्रभाव का मुकाबला कर सकने में तथा जुलाई 2009 से रोजगार सृजित करने में समर्थ हो सके हैं, जैसा कि श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित तिमाही सर्वेक्षणों में सूचित किया गया है। अन्य विकसित देशों के विपरीत, जहां रोजगार हानियों का प्रतिकार करने के उपाय तदर्थ थे तथा संरक्षणवाद के तत्वों से ग्रस्त थे, भारत के मामले में रोजगार सृजन के कार्यक्रम संरक्षणवाद के किसी भी तत्वों से मुक्त दीर्घ-आवधिक दृष्टिकोण के साथ नियोजित थे। एम जी एन आर ई जी ए जैसे सरकार के रोजगार सृजन के कार्यक्रम रोजगार अवसरों को सृजित करने में तथा निर्धनों और समाज एवं वंचित वर्गों के हाथों में अतिरिक्त आय रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं। स्कीम में और अधिक सुधार जैसे कि स्थायी संपत्ति भवन में स्थानांतरण तथा अवसंरचना विकास क्रियाकलाप, संव्यवहार लागतों में कटौती, बेहतर अनुवीक्षण तथा एम जी एन आर ई जी ए का विस्तार शहरी क्षेत्रों तक करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कृषि के व्यस्ततम काल के दौरान श्रमिकों की कमी न हो। चूंकि सरकार द्वारा कई सारे कार्यक्रम रोजगार तथा गरीबी के दोहरे मुद्दों का समाधान करने के लिए साथ-साथ चलाए जा रहे हैं, इसलिए अनुलिपिकरण तथा रिसाव से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीमों के लाभ लक्षित लाभानुभोगियों तक ही पहुंचे, स्कीमों की बेहतर समनुरूपता की आवश्यकता है। यद्यपि प्रति-निर्धनता कार्यक्रमों तथा रोजगार-सृजन स्कीमों के लिए सरकार ने अभिज्ञतापूर्वक बजटीय आवंटनों में विशाल वृद्धि की है, इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए

तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबंटन के फलस्वरूप निर्गत हों और निगर्तों के फलस्वरूप परिणाम आए, इसके लिए नीति अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा परिणाम बजट तथा भारतीय अनूठी पहचान प्राधिकरण की स्थापना जैसी पहलें इस दिशा में कुछ कदम हैं।

12.84 युवा जनसंख्या के लाभ को देखते हुए, जनसांख्यिकीय लाभ उठाने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ और सुधारों की आवश्यकता है। जहां दक्ष, प्रशिक्षित स्वस्थ युवा जनसंख्या सही प्रकार की शिक्षा के साथ एक संपत्ति है, वहीं अशिक्षित अथवा कम शिक्षित, अकुशल, अस्वस्थ और बेरोजगार जनसंख्या जनसांख्यिकीय आपदा ला सकती है। इस जनसांख्यिकीय लाभ को पाने के लिए एक दृष्टिकोण, दीर्घ-आवधिक योजना तथा कठोर निर्णयों को लेने की जरूरत है। यद्यपि राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन सही दिशा में उठाया गया कदम है, फिर भी उपलब्धियों और गति दोनों के संदर्भों में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आर टी ई अधिनियम के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए यदि इसे जनसांख्यिकीय लाभ को पाने की दिशा में कार्य करना है तो विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा में भी इस जैसे सुधारों की आवश्यकता है तथा रोजगार बाजार में मांग-आपूर्ति के असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा के लिए निधियों को जुटाना सरकार के लिए बेशक एक चुनौती है। उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकता में अंतर को सरकार के विनियामक निरीक्षण को फीका किए बगैर संभवतः तदनुकूल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वित्तपोषण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक सेक्टरों में निजी-क्षेत्र की प्रतिभागिता, जिसे कभी-कभी सार्वजनिक-सामाजिक निजी भागीदारी (पीएसपीपी) कहा जाता है, सरकार के जारी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संभावित विकल्पों में से एक हो सकती है। तथापि, ऐसे मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए, इस प्रकार की उच्च लागत परियोजनाओं के साथ जुड़े जोखिमों तथा प्राप्तियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समुचित समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वयं-संपोषणीय आधार पर बाजार में ऐसी पी एस पी पी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ग्रहणकर्ता हों। हालांकि जनसांख्यिकीय लाभ की क्षमता अधिक है, उस क्षमता को प्राप्त करने के प्रयासों को भी इसी के अनुपात में होना होगा।

12.85 सरकार के लिए एक और चुनौती, जलवायु चुनौती और विकास चुनौती में उचित संतुलन कायम करने की है। जलवायु-संबंधित मुद्दों के बढ़ते महत्व को हमारी सम्मिलित विकास रणनीति की बुनियाद को नहीं हिलाना चाहिए। सावधानीपूर्वक आयोजना तथा विशिष्ट रूप से निर्मित नीतियों की जरूरत है जिससे सुनिश्चित हो सके कि स्वच्छ विकास रणनीतियां मंद विकास रणनीतियां न बन जाएं।